भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का

निष्पादन प्रतिवेदन

2012-2013

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के डेस्क से

मुझे, वर्ष 2012-13 के लिए भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग का निष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह प्रतिवेदन, हमारे निष्पादन और बाह्य पणधारियों को भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था के मूल्य और लाभ दोनो की अभिव्यक्ति करता है।

सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को तीव्रता से महसूस किया गया है। सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था के रूप में हम दृष्टांत से आगे बढने में विश्वास रखते है और हमने भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के सदस्यों से अपेक्षित व्यवहार के मानदंड पर स्पष्ट दिशानिर्देश उपलब्ध कराने के लिए आचार संहिता तैयार की है।

हम निरंतर लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्डों, सेमीनार, कार्यशालाओं आदि के तंत्रों के माध्यम से हम पणधारियों से जुड़े रहते हैं। हमारी संबंधात्मक नीति के रूप में हम कार्यकारियों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवेदी बनाते हैं। साई इंडिया इन्टोसाई और ऐसोसाई के एक सक्रिय सदस्य हैं। यूएन एजेंसियों के बाह्य लेखापरीक्षक के रूप में हमारी भूमिका की सराहना पणधारियों द्वारा भी की गई थी। यह प्रतिवेदन इन्टोसाई और ऐसोसाई के कार्यकलापों में हमारी भागीदारी और पणधारियों के साथ वार्तालाप के प्रयासों को उजागर करता है।

मैं आशा करता हूँ कि यह प्रतिवेदन सीएजी की संस्था द्वारा अदा की गई भूमिका की सराहना करने में विधायिका, कार्यकारिणी, अन्य पणधारियों तथा इन्टोसाई और ऐसोसाई के सदस्यों की सहायता करेगा।

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

निष्पादन की मुख्य बातें

I. निष्पादन प्रतिवेदन के विषय में

इस प्रतिवेदन का उद्देश्य हमारी लेखापरीक्षा का प्रभाव और साई संसाधनों के उपयोग के साथ-साथ हमारे अपने निष्पादन का मूल्यांकन, और इस पर अनुवर्ती कार्यवाही, रिपोर्टिंग के द्वारा जवाबदेही अपेक्षाओं को पूरा करना है।

II. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के विषय में

- भारत के सीएजी संविधान से अधिदेश प्राप्त करते हैं।
- सीएजी का डीपीसी अधिनियम प्राप्तियों और व्यय दोनों को कवर करते हुए संघ और राज्य स्तर पर लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार का विशेष उल्लेख करता है।
- सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 में सीएजी द्वारा राज्य सरकारों के लेखाओं के संकलन और प्रस्तुतिकरण का प्रावधान है।
- भारत के सीएजी अपने कर्तव्य का निर्वाह भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के माध्यम से करते हैं। नई दिल्ली स्थित सीएजी का कार्यालय, लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग का मुख्यालय है। समूचे भारत में फैले 133 क्षेत्रीय कार्यालय और पांच विदेश स्थित कार्यालय इस विभाग की सहायता करते हैं।

III. लेखापरीक्षा के मुख्य परिणाम

- हमने 50,738 इकाईयों की लेखापरीक्षा की, जो संघ तथा राज्य स्तर पर नियोजित लेखापरीक्षाओं का क्रमशः 98.28 *प्रतिशत* तथा 91.11 *प्रतिशत* थी।
- हमने 2012-13 के दौरान 47,595 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए।
- हमने 2012-13 के दौरान 138 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए। इनमें 198 निष्पादन लेखापरीक्षा उत्पाद शामिल थे। हमने संघ तथा राज्य स्तर पर अपनी लेखापरीक्षा इकाईयों को 1,516 सिफारिशें की। इनमें से, 454 सिफारिशें (29.95 *प्रतिशत*) लेखापरीक्षा इकाईयों द्वारा स्वीकार कर ली गई थी।
- हमने संघ एवं राज्य सरकारों, पीएसयूज़, स्वायत्त निकायों, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं तथा अन्य के 5,551 लेखे प्रमाणित किए। इनमें से, 84.98 *प्रतिशत* प्रमाण-पत्र समय पर जारी किए गए।
- सरकार ने लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई 14.42 *प्रतिशत* वसूलियां (` 2,51,220 करोड़) स्वीकार कर ली। इनमें से, वास्तव में ` 5537 करोड़ की वसूलियां की गई जो कि आईएएण्डएडी के ` 2,649.07 करोड़ के कुल बजट के दोगुना से अधिक है।
- हमने नियमों, विनियमों में विचलन; एवं योजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन में कमियों, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय आदि के अभाव के बारे में बहुत से दृष्टांत बताए।

- सरकार द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर आवश्यक दिशानिर्देश, आदेश आदि जारी किए और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन किए गए थे।
- 31 मार्च 2013 को संघ तथा राज्य स्तर पर पिछले वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर हमें 11,133 की गई कार्यवाही टिप्पणियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

IV. लेखा और हकदारी के मुख्य परिणाम

- हमने वर्ष 2012-13 के दौरान 4,48,050 पेंशन तथा संशोधन मामलों को अन्तिम रूप दिया।
- हमने 98.77 *प्रतिशत* नियोजित कोषागार निरीक्षण किए। राज्य सरकार ने हमारे द्वारा की गई 83.29 *प्रतिशत* सिफारिशें स्वीकार कर ली।
- वर्ष के दौरान हमने 96.39 *प्रतिशत* सामान्य भविष्य निधि लेखाधारकों को लेखा विवरण समय पर जारी किए।

V. व्यावसायिक मानक एवं गुणवत्ता प्रबंधन

- भारत सरकार द्वारा मार्च 2013 तक तीन भारतीय सरकारी लेखांकन मानक (आईजीएएस) अधिसूचित किए गए थे। दो आईजीएएस तथा चार आईजीएफआरएस (भारतीय सरकारी वित्तीय रिपोर्टिंग मानक) भारत सरकार के विचाराधीन थे।
- हमने भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सदस्यों से अपेक्षित व्यवहार के मानदंडों पर स्पष्ट दिशानिर्देश उपलब्ध कराने के लिए सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय प्रणालियों के मद्देनजर आचार संहिता को अपनाया।

- महानिदेशक (निरीक्षण) ने आन्तरिक नियंत्रण तंत्र के उपाय के रूप में भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के 21 क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण रिपोर्टों में की गई 39 *प्रतिशत* सिफारिशें लागू कर दी गई थी।
- गुणवत्ता आश्वासन के उपाय के रूप में हमने एक अन्तर्राष्ट्रीय पीअर रिव्यु शुरू किया। पीअर रिव्यु टीम ने अच्छी प्रथाओं के रूप में साई इंडिया द्वारा पालन की गई निम्नलिखित प्रणालियों पर विचार किया:
    - दीर्घावधि नीतिगत योजना
    - लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड
    - प्रशिक्षण सुविधाओं का नेटवर्क
    - वैकल्पिक प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण अर्थात कलरफुल नॉडी बुक्स

VI. संसाधन प्रबंधन

- हमने 2012-13 में ₹ 2649.07 करोड़ खर्च किए।
- क्षेत्रीय कार्यालयों में इष्टतम स्टाफ पर एचआर नीति का मुख्य फ़ोकस जारी रहा।
- आईएएण्डएडी में कार्यरत 46,936 लोगों में से, 88 *प्रतिशत* प्रत्यक्ष रूप से हमारे मुख्य कार्यकलापों में अपना योगदान देते हैं।
- वर्ष के दौरान हमारे क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों ने 12,066 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया।

VII. संगोष्ठियां एवं कार्यक्रम

- XXVI महालेखाकार सम्मेलन, जो एक द्विवार्षिक कार्यक्रम और भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के वरिष्ठ कार्यकारियों का फोरम है; 8 से 10 अक्टूबर 2012 को आयोजित किया गया था।
- शहरी स्थानीय निकायों के लिए निष्पादन रिपोर्टिंग पर एक सेमिनार सितम्बर 2012 में आयोजित किया गया था।
- एमजीएनआरइजीएस के अखिल भारतीय निष्पादन लेखापरीक्षा पर अनुभव साझा करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन 7 जनवरी 2013 को किया गया था।
- "सार्वजनिक खरीद संव्यवहार और प्रतिस्पर्धा कानून की लेखापरीक्षा" पर एक कार्यशाला का आयोजन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सहयोग से 7 दिसम्बर 2012 को किया गया था।

VIII. प्रमुख पणधारियों के साथ हमारा परस्पर व्यवहार

- लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड संघ और राज्य स्तरों पर गठित किए गए हैं।

IX. अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी एवं योगदान

- साई इण्डिया इंटोसाई तथा एसोसाई जैसे अन्तर्राष्ट्रीय लेखापरीक्षण संगठनों में एक महत्वपूर्ण सदस्य है। सीएजी इंटोसाई सदस्य तथा एसोसाई का अध्यक्ष है। वह आईटी लेखापरीक्षा तथा उसकी ज्ञान विस्तारण समिति के इंटोसाई वर्किंग ग्रुप का अध्यक्ष है।

- सीएजी बाह्य लेखापरीक्षकों के यूएन पेनल का अध्यक्ष है तथा पाँच यूएन संगठनों डब्ल्यूएफपी, आईएमओ, डब्ल्यूआईपीओ, आइएइए और यूएनडब्ल्यूटीओ का बाह्य लेखापरीक्षक भी है।
- साई इंडिया ने 2-6 अक्टूबर, 2012 को जयपुर, भारत में पर्यावरणीय लेखापरीक्षण पर इन्टोसाई वर्किंग ग्रुप (डब्ल्यूजीइए) की स्टीयरिंग समिति की 12वीं बैठक और वैश्विक प्रशिक्षण सुविधा (जीटीएफ) की उप समिति की बैठक की मेजबानी की।

अध्याय 1

इस निष्पादन प्रतिवेदन के विषय में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय भारत के संविधान द्वारा सृजित एक कार्यालय है और इसे संघ और राज्यों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। सार्वजनिक गतिविधियों में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की प्रत्याशा की जाती है।

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों (इससाई 20) में यह प्रावधान है कि साई के बारे में सूचना सहज, सुलभ और संगत होनी चाहिए। उनकी कार्य प्रक्रियाएं, गतिविधियाँ और उत्पाद पारदर्शी होने चाहिएं। उन्हें मीडिया तथा अन्य इच्छुक पार्टियों के साथ स्पष्ट रूप से संवाद करना चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र में प्रकट होना चाहिए।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का निष्पादन प्रतिवेदन इससाई 20 और 21 में परिकल्पित पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को ध्यान मे रखकर बनाया गया है।

इस प्रतिवेदन का लक्ष्य निम्नलिखित पर रिपोर्टिंग के द्वारा जवाबदेही अपेक्षाओं को पूरा करना है

- साई इण्डिया ने अपने लेखापरीक्षा कार्य तथा अपेक्षित रिपोर्टिंग के संबंध में अपनी कानूनी देयताओं को किस सीमा तक पूरा किया है;
- हमारे अपने निष्पादन का मूल्यांकन और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही तथा हमारी लेखापरीक्षा का प्रभाव; तथा
- साई संसाधनों के उपयोग में नियमितता तथा दक्षता।

यह प्रतिवेदन हमारी स्थिति, कार्य, नीति, गतिविधियों, वित्तीय प्रबंधन, प्रचालन और निष्पादन पर विश्वसनीय, स्पष्ट तथा संगत सार्वजनिक रिपोर्टिंग उपलब्ध करा कर पारदर्शिता प्राचलों को भी पूरा करता है। अतः यह निम्निलिखित बातों का प्रयास करता है:

- सीएजी तथा भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग की भूमिका एवं कार्यों के बारे में जागरूकता और समझ पैदा करना;

- हमारे ग्राहकों और पणधारियों, आन्तरिक एवं बाह्य दोनों को प्रमुख परिणामों और उपलब्धियों के बारे में सूचित करना; तथा
- भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के अन्दर और बाहर अनुकरण प्रोत्साहित करने के लिए हमारे संगठन के अन्दर नव-परिवर्तनों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करना।

अध्याय 2

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के बारे में

I हम कौन हैं?

लेखापरीक्षा की धारणा और स्थापना सार्वजनिक वित्तीय प्रशासन में अन्तर्निष्ठ है क्योंकि लोक निधि का प्रबंधन एक विश्वास का प्रतीक है। लेखापरीक्षा अपने आप में एक अन्तिम स्थिति नहीं है बल्कि नियामक प्रणाली का अनिवार्य हिस्सा है जिसका उद्देश्य स्वीकार्य मानदण्डों से विचलन तथा सिद्धांतों के उल्लंघन को व्यक्त करना है। भारत के संविधान ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (जिसे अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में सर्वोच्च लेखापरीक्षा की संस्था के रूप में जाना जाता है) को राष्ट्र के लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व सौंपा है। हम विधानमंडल के प्रति कार्यकारिणी की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का एक साधन हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) और उनके अधीन कार्यरत भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग (आईएएडी) से भारतीय सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था बनती है। राज्यों में सीएजी का प्रतिनिधित्व करने वाले साई के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार कहा जाता है।

भारतीय शासन प्रणाली में संसद/राज्य विधानमंडल उस बजट का अनुमोदन करता है जो यह निर्धारित करता है कि सरकार करों के माध्यम से धन कैसे, कितना और किन उद्देश्यों के लिए एकत्र करेगी। लोक-निधियों के प्रबंधन में औचित्य, नियमितता और सत्यनिष्ठा के मानदण्ड सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय नियमावली भी है। सरकारी विभागों तथा अन्य सार्वजनिक निकायों से इन नियमों का अनुसरण और उनमें निर्धारित ढांचे का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, जब वे लोक-धन को प्राप्त और खर्च करते हैं। व्यय करने वाले विभाग अपने व्यय की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के लिए संसद और राज्य विधानमण्डलों के प्रति जवाबदेह हैं।

संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में सरकारी विभागों की वैधानिक जवाबदेही को लागू करने के लिए संसद की सहायता करने में सीएजी की भूमिका महत्वपूर्ण है। सीएजी

केन्द्र एवं राज्य सरकारों दोनों की लेखापरीक्षा करता है और राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन भी करता है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की भूमिका का संघीय बहुदल प्रजातंत्र में बहुत महत्व है जहां संघ और राज्य दोनों सरकारें बड़ी संख्या में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं जिनमें बड़े संसाधन शामिल हैं। अभी हाल ही में देश में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में एक मिसाल परिवर्तन हुआ है जिसमें सरकार के तीसरे स्तर अथवा एनजीओज़ को प्रत्यक्ष अन्तरण के माध्यम से निधियों के बड़े अन्तरण और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पर बल दिया गया है। सिविल सोसायटी एक प्रमुख पणधारी के रूप में उभर रही है।

II हमारी दूरदृष्टि, उद्देश्य और नैतिक मूल्य

हमारी दूरदृष्टि *यह दर्शाती है कि हम कुछ बनने के लिए क्या अभिलाषा करते हैं : हम सार्वभौम लीडर बनने और सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षण और लेखाकरण में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों की दीक्षक और स्वतंत्र, विश्वसनीय लोक वित्त और अभिशासन पर संतुलित और समय से रिपोर्टिंग के लिए मान्य होने का प्रयास करते हैं।*

हमारा उद्देश्य *हमारी वर्तमान भूमिका को प्रस्तुत करता है और आज हम क्या कर रहे हैं, इस का वर्णन करता है: भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित उच्च गुणवत्ता लेखापरीक्षण व लेखाकरण के माध्यम से जवाबदेही, पारदर्शिता और अच्छे अभिशासन को उन्नत करते हैं और अपने पणधारियों, विधानमण्डल, कार्यकारिणी और आम जनता को स्वतत्र आश्वासन मुहैया कराते हैं कि लोक निधियों का दक्षता से अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।*

हम जो कुछ करते हैं उसके लिए ***हमारे नैतिक मूल्य*** *उन सभी के लिए दिशा आलोकित करते हैं और हमारे निष्पादन का निर्धारण करने के लिए हमें मानदंड देते हैं:*

स्वतंत्रता, वस्तुनिष्ठता, सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, व्यावसायिक उत्कृष्टता, पारदर्शिता, तथा सकारात्मक दृष्टिकोण।

III साई की स्वतंत्रता

इससाई 1 में यह परिकल्पित है कि सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनकी स्वतंत्रता की आवश्यक डिग्री संविधान में निर्धारित की जाएगी; विवरण विधान में निर्धारित किए जा सकते हैं।

भारत के संविधान में एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रावधान है। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की कार्यकारी शाखा से सीएजी की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 148 में निहित है, जो सीएजी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दी गई कार्यकारी कार्यवाही से प्रतिरक्षा के लिए अनुप्राणित करता है (जो उसे कार्यकारिणी और विधान-मंडल से स्वतंत्र बनाता है)। अनुच्छेद 149 और 150 में उसके कर्तव्य और शक्तियां परिभाषित हैं। अनुच्छेद 151 में प्रावधान है कि संघ तथा राज्य सरकारों से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति/राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं जो उन्हें संसद अथवा राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखता है।

संविधान में निम्निलिखित बातों के प्रावधान से सीएजी को स्वतंत्र और निष्पक्ष स्वरूप की लेखापरीक्षा के लिए स्वतंत्र बनाया गया है:

- भारत के राष्ट्रपति द्वारा सीएजी की नियुक्ति;
- सीएजी को हटाने की विशेष प्रक्रिया;
- सीएजी का वेतन और भत्ते दत्तमत नहीं हैं; तथा
- सेवा-काल की समाप्ति के पश्चात् किसी अन्य सरकारी कार्यालय का पद लेने में अपात्रता।

संविधान में यह भी प्रावधान है कि भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में सेवारत व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां वे होगी जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों से ही निर्धारित की जाएंगी।

IV हमारा लेखा उत्तरदायित्व[1]

संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में घोषित सीएजी के कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें (डीपीसी) अधिनियम, 1971 में सीएजी द्वारा लेखाओं के संकलन का प्रावधान है। लेखाओं के संकलन के अतिरिक्त, सीएजी लेखे तैयार करने और उन्हें राष्ट्रपति को, राज्यों के राज्यपालों को और जिन संघ-राज्य क्षेत्रों में विधानसभा है के प्रशासकों को प्रस्तुत करने के लिए भी उत्तरदायी है। वह लेखाओं को तैयार करने से संबंधित यथोचित रूप से माँगी गई सूचना भी देता है और सहायता भी प्रदान करता है। कोषागारों और राज्य सरकारों के अन्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सहायक लेखाओं से राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन करते समय हम मात्र यांत्रिक रूप से आय और व्यय का कुल जोड़ ही नहीं करते बल्कि वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। यदि धन अनुमोदन से अधिक निकाला जा रहा है तो हम शासन को सचेत करते हैं। हम व्यय के ढंग की सक्रिय रूप से मॉनीटरिंग करते हैं और निधियों से अधिक व्यय/वापस की गई राशि/व्यपगत राशि पर परामर्श देते हैं।

V हमारा लेखापरीक्षा उत्तरदायित्व[2]

सीएजी के लेखापरीक्षा उत्तरदायित्व को सीएजी के (डीपीसी) अधिनियम, 1971 में परिभाषित किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सीएजी निम्नलिखित की लेखापरीक्षा एवं रिपोर्ट करने के लिए उत्तरदायी है:

- संघ एवं राज्य सरकारों की समेकित निधि से सभी प्राप्तियाँ और उनसे किया गया व्यय;
- आम बजट से बाहर आपातकाल में सभी वित्तीय लेन-देन (जिसे आकस्मिक निधि कहा जाता है);
- केन्द्र और राज्य स्तरों पर सेवाओं एवं बाध्यताओं के बदले में न्यास जैसे लघु बचतों, जमाओं में सरकार द्वारा धारित जनता के सार्वजनिक धन का अन्तर्वाह और बहिर्वाह (जिसे लोक लेखा कहा जाता है);
- किसी भी सरकारी विभाग में रखे गए समस्त व्यापार, विनिर्माण, लाभ एवं हानि लेखे, तुलन-पत्र एवं अन्य सहायक लेखे;

---

[1] *डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 10 , 11 और 12*

[2] *सीएजी के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20*

- सभी सरकारी कार्यालयों और विभागों के समस्त भण्डार और स्टॉक लेखे;
- सभी सरकारी कम्पनियों जैसे ओएनजीसी, सेल आदि के लेखे;
- सभी सांविधिक निगमों और निकायों के लेखे जिनमें सीएजी द्वारा उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा का प्रावधान है जैसे भारतीय खाद्य निगम;
- सरकारी धन से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित सभी स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों जैसे पंचायती राज संस्था, शहरी स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तथा राज्य स्वास्थ्य समितियों के लेखे इत्यादि;
- सीएजी अपनी अनिवार्य वचनबद्धताओं के अलावा विशेष लेखापरीक्षा के लिए भी सहमत हो सकता है। ऐसी लेखापरीक्षा सामान्यतः ऐसे निकायों के लेखाओं से संबंधित होती है जिसमें सार्वजनिक निधियों के पर्याप्त निवेश शामिल हैं और जिन्हें राष्ट्रपति/राज्यपाल के अनुरोध पर अथवा निजी पहल पर स्वीकार किया जाता है; और
- सीएजी को कतिपय राज्यों में स्थानीय निधि लेखापरीक्षकों को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने का कार्य भी सौंपा गया है।

VI हम किसकी लेखापरीक्षा नहीं करते

सीएजी का उत्तरदायित्व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों; सरकारी निगमों की लेखापरीक्षा तक विस्तृत नहीं है जिनकी संविधियों में सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान नहीं है अर्थात जीवन बीमा निगम और वे कम्पनियाँ जहाँ सरकारी हिस्सेदारी 50 *प्रतिशत* से कम है।

VII हमारी शक्तियाँ

उपर्युक्त उल्लिखित कर्त्तव्यों का निर्वाह करने के लिए सीएजी के पास निम्नलिखित शक्तियाँ[3] हैं:

- अपनी लेखापरीक्षा के अधीन किसी कार्यालय अथवा संगठन का निरीक्षण;
- किसी लेखापरीक्षित इकाई से किन्हीं अभिलेखों, कागज़ों, दस्तावेजों को मँगाना;
- लेखापरीक्षा की सीमा और रीति का निर्णय लेना;

[3] *सीएजी के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 18, 21, 22, 23, और 24*

- सभी लेन-देनों की जाँच और कार्यपालिका से प्रश्न करना; और
- जब परिस्थितियाँ ऐसी हों, तो किसी लेखे अथवा लेन-देनों के वर्ग की विस्तृत लेखापरीक्षा के किसी भाग को छोड़ना और ऐसे लेखाओं अथवा लेन-देनों के संबंध में ऐसी सीमित जाँच करना जैसा कि वह अवधारित करें।

शक्तियों का प्रत्यायोजनः सीएजी डीपीसी अधिनियम अथवा किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने विभाग के किसी अधिकारी को अपनी शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकता है, इस अपवाद को छोड़कर कि जब सीएजी छुट्टी अथवा अन्य किसी कारण से अनुपस्थित हो तो कोई अधिकारी उसकी ओर से राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता।

विनियमों को बनाने के लिए शक्तियाँ: डीपीसी, अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए जहाँ तक कि वे लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र और सीमा से संबंधित हैं, जिनमें सरकारी विभागों के मार्गदर्शन, सरकारी लेखाकरण के सामान्य सिद्धान्तों और प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा के संबंध में विस्तृत सिद्धान्तों को निर्धारित किया गया है।

2007 में, सीएजी के (डीपीसी) अधिनियम, की धारा 23 के अन्तर्गत हमने 'लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमावली "जारी की जिसमें साई, इण्डिया के लेखापरीक्षा और लेखांकन उत्तरदायित्व के कार्यक्षेत्र, तरीके और सीमा को विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है।

नियम बनाने की शक्तियाँ: भारत के सीएजी के पास संघ और राज्य सरकार के विभागों और कोषागारों द्वारा लेखाओं के रखरखाव से संबंधित नियम बनाने की शक्तियां हैं।

VIII हम विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा करते हैं

डीपीसी अधिनियम के अनुसार, हमारे लेखापरीक्षा उत्तरदायित्व में उन इकाईयों का उल्लेख किया गया है जो संघ और राज्य स्तर पर हमारी लेखापरीक्षा सीमा के अन्दर आते हैं। तथापि, इन इकाईयों की लेखापरीक्षा करने में सीएजी द्वारा अपनाए जाने वाला लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और सीमा, कार्यप्रणाली एवं पहुँच में सीएजी का ही विवेकाधार है। हमारे द्वारा लेखापरीक्षा की जाने वाली इकाईयों में हम तीन प्रकार की लेखापरीक्षा करते हैं।

VIII क अनुपालन लेखापरीक्षा

अनुपालन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित के अनुपालन के लिए सरकार के व्यय, प्राप्तियों, परिसम्पत्तियों और देयताओं से सम्बन्धित संव्यवहारों की लेखापरीक्षा की जाती है:

- भारत के संविधान और लागू कानूनों के प्रावधान; और
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नियम, विनियम, आदेश एवं अनुदेश या तो भारत के संविधान और विधि के प्रावधानों के अनुपालन में अथवा उच्च प्राधिकारी द्वारा औपचारिक रूप से प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार हों।

अनुपालन लेखापरीक्षा में वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य, विवेक और प्रभावकारिता के लिए नियमों, विनियमों, आदेशों और अनुदेशों की जाँच-पड़ताल भी शामिल है अर्थात क्या वे निम्नलिखित के अनुसार हैं:

- भारत के संविधान के प्रावधान और विधि (वैधानिकता) के अनुसार;
- अपशिष्ट, दुरूपयोग, कुप्रबन्धन, गलतियाँ, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं (पर्याप्तता) के कारण हानि के प्रति पर्याप्त रक्षा के साथ सरकारी प्राप्तियों, व्ययों, परिसम्पत्तियों और देयताओं के ऊपर पर्याप्त रूप से व्यापक और प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना;

- अस्पष्टता से दर तथा मुक्त और निर्णय लेने (पारदर्शिता) में सत्यता के अनुपालन को बढ़ावा देना;
- प्रभावी और अभिप्रेत उद्देश्य और लक्ष्य (प्रभावकारिता) प्राप्त करना।

VIII ख वित्तीय लेखापरीक्षा

वित्तीय लेखापरीक्षा मूल रूप से वित्तीय विवरणों के समूह पर लेखापरीक्षा राय व्यक्त करने से सम्बन्धित है। इसमें निम्न शामिल है

- वित्तीय अभिलेखों की जाँच-पड़ताल और मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना;
- लागू संविधियों और विनियमों जो लेखाकरण अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता को प्रभावित करते हैं, के अनुपालन के मूल्यांकन सहित वित्तीय प्रणालियों और संव्यवहारों की लेखापरीक्षा; और
- आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की लेखापरीक्षा जो परिसम्पत्तियों और संसाधनों की रक्षा में सहायता करते हैं और लेखाकरण अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता का आश्वासन सुनिश्चित करते हैं।

VIII ग निष्पादन लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा उस सीमा तक एक स्वतंत्र निर्धारण अथवा जाँच-पड़ताल है जिस तक संगठन, कार्यक्रम और योजना का प्रचालन मितव्ययी, दक्ष और प्रभावी रूप से होता है। निष्पादन लेखापरीक्षा निर्धारण करती है:

- **मितव्ययिता** - मितव्ययिता उपयुक्त गुणवत्ता वाले किसी कार्यकलाप के लिए प्रयुक्त संसाधन की लागत को न्यूनतम करना है। मितव्ययिता इनपुटों और प्रक्रियाओं की लागत पर फ़ोकस प्रस्तुत करती है।
- **दक्षता** - दक्षता माल, सेवाओं अथवा अन्य परिणामों के अनुसार आउटपुट और उनके उत्पादन के लिए प्रयुक्त संसाधनों के बीच संबंध है। दक्षता वहाँ विद्यमान है जहाँ वित्तीय, मानव, प्रत्यक्ष और सूचना संसाधन का उपयोग ऐसा है कि आउटपुट को संसाधन इनपुट के दिए गए सैट के लिए अधिकतम किया जाता है अथवा इनपुट को आउटपुट की दी गई मात्रा और गुणवत्ता के लिए न्यूनतम किया जाता है।

- **प्रभावकारिता** - प्रभावकारिता उस सीमा तक है जहां तक उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं और कार्यकलाप के अभिप्रेत प्रभाव और वास्तविक प्रभाव के बीच संबंध है। प्रभावकारिता उस मुद्दे का उल्लेख करती है कि क्या योजना, कार्यक्रम अथवा संगठन ने अपने उद्देश्य प्राप्त किए हैं।

IX हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया

साई स्तर और पृथक लेखापरीक्षा कार्यालय स्तर पर लेखापरीक्षा प्रक्रिया इन चरणों को अपनाती है।

नीतिगत योजना भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर लम्बी अवधि की योजना के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करती है।

नीतिगत लेखापरीक्षा योजनाओं का विकास उस नीतिगत निदेश के अनुसार किया जाता है जिसे सीएजी लेखापरीक्षा अधिदेश, जोखिम निर्धारण, मुद्दे का महत्व और उपलब्ध संसाधन के अनुसरण के लिए निर्णय लेता है। इन योजनाओं में वे लेखापरीक्षा शामिल हैं जिन्हें उपरोक्त वर्णित तीनों कार्यप्रणालियों में प्रत्येक के अन्तर्गत किया जाना है।

वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाओं का विकास समग्र नीतिगत लेखापरीक्षा योजना के आधार पर सीएजी के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है। इस योजना में वार्षिक लेखापरीक्षा चक्र के दौरान की जाने वाली योजनाबद्ध प्रत्येक लेखापरीक्षाओं का विस्तृत उल्लेख है। वार्षिक योजना उपयोग में मामले या यूनिट के महत्व सहित लेखापरीक्षा

अधिदेश, जोखिम निर्धारित और अन्य सुसंगत प्राचलों द्वारा यथा अवधारित लेखापरीक्षा की आवधिकता को लिया जाता है। इसे आगे लेखापरीक्षा करने के लिए उपलब्ध संसाधन, मानव एवं वित्त दोनों द्वारा भी परिभाषित किया गया है।

हम नियोजित किए जाने वाले दल, आवंटित समय और लेखापरीक्षा की वास्तविक तारीखों का वर्णन करते हुए एक विस्तृत लेखापरीक्षा कार्यक्रम बनाते हैं। लेखापरीक्षा दल अपने लेखापरीक्षा निष्कर्षों के समर्थन में विश्वसनीय सक्षम और पर्याप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के संग्रहण के लिए विभिन्न लेखापरीक्षा तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित लेखापरीक्षा प्रतिमानों के आधार पर लेखापरीक्षा करते हैं। उनका मार्गदर्शन साई इण्डिया के लेखापरीक्षा मानकों तथा समय-समय पर जारी किये गये अन्य अनुदेशों द्वारा किया जाता है।

लेखापरीक्षा के समापन पर लेखापरीक्षित इकाई को निरीक्षण रिपोर्ट के रूप में जानी जाने वाली एक रिपोर्ट जारी की जाती है। उच्च मूल्य वाले लेखापरीक्षा निष्कर्ष जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव है, आगे परिष्कृत किए जाते हैं और संघ तथा राज्य स्तर पर प्रकाशित लेखापरीक्षा रिपोर्टों में शामिल करने के लिए उनकी जांच की जाती है।

लेखापरीक्षित इकाइयों एवं मंत्रालयों से लेखापरीक्षा रिपोर्टों में बतायी गई त्रुटियों और की गई सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही करने की आशा की जाती है और उनसे लेखापरीक्षा रिपोर्ट में मुद्रित लेखापरीक्षा आपत्तियों पर की गई कार्यवाही टिप्पणियाँ भेजना अपेक्षित है। संघ और राज्य स्तरों पर सीएजी द्वारा जारी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर सम्बन्धित लोक लेखा समिति (पीएसी) और लोक उपक्रम समिति (कोपू) की बैठकों में चर्चा की जाती है। लेखापरीक्षा आपत्तियों के अनुपालन तथा सिफारिशों की जाँच-पड़ताल की जाती है और उन्हें बाद की लेखापरीक्षाओं के दौरान सूचित किया जाता है।

लेखापरीक्षा समिति, लेखापरीक्षा की अनुवर्ती कार्यवाही के लिए नियोजित एक अन्य तंत्र है। लेखापरीक्षा समितियों जिनमें लेखापरीक्षित इकाई और आईएएडी के अधिकारी सम्मिलित होते हैं, का गठन संघ और राज्य स्तर पर अनुवर्ती प्रक्रिया की निगरानी करने, अनुबोध अंतराल को कम करने एवं इसके अतिरिक्त मुख्यतः निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबधित बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों पर चर्चा करने एवं उनका निपटान करने के अतिरिक्त संचार के स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

X हमारा संगठन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के माध्यम से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हैं। विभाग में लगभग 47,000 कर्मचारी हैं। नई दिल्ली स्थित सीएजी कार्यालय आईएएडी का मुख्यालय है। इसकी सहायता के लिए पूरे देश में 133 क्षेत्रीय कार्यालय और विदेश में पाँच कार्यालय स्थित हैं।

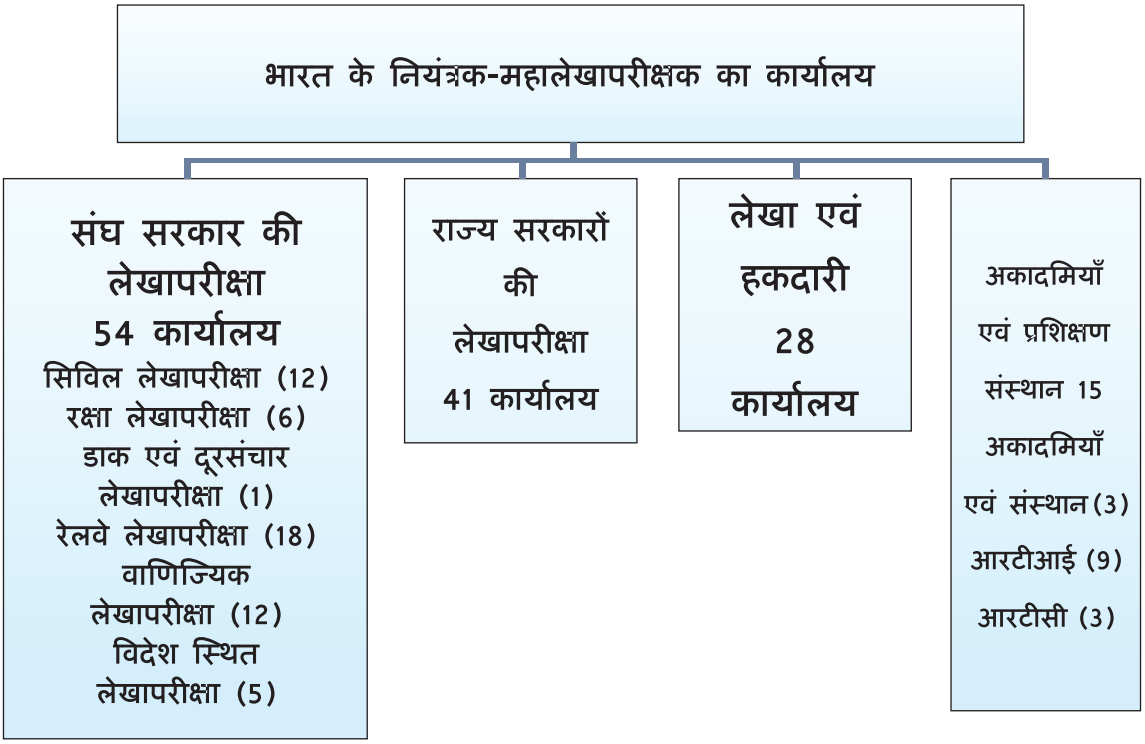

XI सीएजी कार्यालय

नई दिल्ली में स्थित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग की लेखापरीक्षा, लेखा एवं हकदारी कार्यों से सम्बन्धित सभी कार्यकलापों का निर्देश, निगरानी और नियंत्रण करता है। यह साई इंडिया की दीर्घकालिक संकल्पना, मिशन और लक्ष्य निर्धारित करता है। यह नीतियों, लेखापरीक्षा मानकों और प्रणालियों को निर्धारित करता है और सभी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अंतिम प्रक्रियाकरण और अनुमोदन करता है। इन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए लेखा एवं हकदारी, सिविल लेखापरीक्षा, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, रक्षा लेखापरीक्षा, रेलवे

लेखापरीक्षा, राजस्व लेखापरीक्षा, राज्य सरकारी लेखापरीक्षा, व्यवसायिक प्रथाए, नीतिगत प्रबंधन कार्मिक प्रशासन, प्रशिक्षण, संचार, क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण, इत्यादि के कार्य करने वाले पृथक डिविजन हैं। इन डिविजनों के प्रमुख उप/अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक हैं तथा सीएजी को सीधे रिपोर्ट करते हैं। उनकी सहायता महानिदेशक, प्रधान निदेशक और निदेशक करते हैं जो सभी वरिष्ठ स्तर के प्रबन्धक हैं। सीएजी कार्यालय का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध । में दिया गया है।

XII आईएएडी में क्षेत्रीय कार्यालय

सीएजी कार्यालय के कार्यात्मक विंग की सहायता पूरे देश के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जाती है। ये कार्यालय वास्तव में सीएजी के लेखा एवं लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं। विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रकारों की चर्चा नीचे की गई है:

श्रेणी	
लेखापरीक्षा कार्यालय (संघ सरकार)	
सिविल	12
रक्षा	6
डाक एवं दूरसंचार	1
रेलवे	18
वाणिज्यिक	12
विदेश स्थित	5
कुल-लेखापरीक्षा कार्यालय (संघ सरकार)	54
राज्य लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा कार्यालय	41
राज्य लेखा एंव हकदारी कार्यालय	28
राष्ट्रीय स्तरीय संस्थान/क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान/ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र	15
कुल जोड़	**138**

- **महानिदेशक/प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा** (37) **के कार्यालय** संघ सरकार के कार्यकलापों की लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार हैं जिनमें सिविल मंत्रालय और विभाग, रक्षा, भारतीय रेल और डाक एवं दूरसंचार शामिल हैं।

- **प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड** (**एमएबी**) **के कार्यालय** (12) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयूज़) की लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। वे सांविधिक निगमों के वार्षिक लेखाओं को प्रमाणित करते हैं और सरकारी कम्पनियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा करते हैं। वे पीएसयूज़ में अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा भी करते हैं।

- **विदेश स्थित लेखापरीक्षा कार्यालय** जिनके प्रमुख प्रधान निदेशक हैं वाशिंगटन, लंदन और क्वालालम्पुर लेखापरीक्षा दूतावासों में और प्रत्येक क्षेत्र में अन्य सरकारी स्थापनाओं की लेखापरीक्षा करते हैं। रोम में पीडीए

कार्यालय विश्व खाद्य कार्यक्रम की लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार है तथा जिनेवा में पीडीए कार्यालय विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूएन एजेन्सियों जिनके लिए साई इंडिया एक बाह्य लेखापरीक्षक है, की लेखापरीक्षा करता है। जेनेवा में पीडीए का कार्यालय जुलाई 2012 में बंद कर दिया गया था।

- प्रत्येक राज्य में **प्रधान महालेखाकार/ महालेखाकार** (**लेखापरीक्षा**) **कार्यालय** राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा, राज्य में सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा, निगमों और स्वायत्त निकायों तथा स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। भारत में ऐसे 41 लेखापरीक्षा कार्यालय हैं।

- **लेखा एवं हकदारी** (**ले. एवं हक**) **कार्यालय** (28) **जिनके प्रमुख प्रधान महालेखाकार/ महालेखाकार** (**ले. एवं हक**) **हैं** राज्य सरकार के लेखाओं के रख-रखाव और उनके कर्मचारियों के जीपीएफ एवं पेंशन को प्राधिकृत करने के कार्य में लगे हैं।

- तीन राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, नौ क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थाएं तथा तीन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र आईएएडी में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के क्षमता निर्माण में लगे हैं।

- कार्यालयों की विस्तृत सूची इस रिपोर्ट के अनुबंध II में है।

XIII. लेखापरीक्षा कार्यालयों की पुनः संरचना

XXVवीं महालेखाकार सम्मेलन की सिफारिशों को आगे बढाते हुए नीतिगत योजना 2020 ने लेखापरीक्षा प्रयासों को एकीकरण सुविधा देने तथा सरकार लेखापरीक्षा के लिए एक क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण के प्रस्तुतीकरण हेतु एक साधन के रूप में संगठनात्मक पुनः संरचना की सिफारिश की। लेखापरीक्षा कार्यालयों की पुनः संरचना को 2 अप्रैल 2012 से प्रभावी किया गया था।

पुनः संरचना के अन्तर्निहित सिद्धान्त थे:

क्षेत्र आधारित (**सेक्टोरल**) **एकीकरण:** विभाग/मंत्रालय के लिए एक कार्य आधारित लेखापरीक्षा पद्धति में तथा मुख्यालयों के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों दोनों पर एक क्षेत्र आधारित पद्धति में परिवर्तन करना।

लम्बवत् एकीकरणः मंत्रालय/विभाग, सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों तथा मंत्रालय/विभाग के अधिकार के तहत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की लेखापरीक्षा, संघ तथा

राज्य सरकारों दोनों के मामलें में एक एकल कार्यालय (अथवा कार्यालयों के समूह) द्वारा की जानी है।

राज्य लेखापरीक्षा से संघ की लेखापरीक्षा का पृथक्करणः भारत सरकार से संबंधित सभी लेखापरीक्षा गतिविधियाँ डिप्टी सीएजीज (डीएआई) के प्रभाराधीन तथा सभी राज्य स्तर के लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्रीय पर्यवेक्षण के उत्तरदायित्व के साथ अपर उप-नियंत्रक महालेखापरीक्षक (एडीएआई) के प्रभाराधीन हैं। राज्य को हस्तांतरित की जाने वाली केन्द्र सरकार की निधियों और राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा व्यय की जाने वाली निधियों की लेखापरीक्षा, केवल राज्य लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा जारी रहेगी।

न्यूनतम रिपोर्टिंग लाइनः राज्य लेखापरीक्षा कार्यालयों के लिए बहु रिपोर्टिंग पद्धति को बदलने हेतु एक राज्य में सभी लेखापरीक्षा गतिविधियों का पर्यवेक्षण एक एडीएआई के अधीन एकीकृत किया गया अर्थात राज्य में सभी म.ले. (लेखापरीक्षा) के लिए एक एडीएआई है।

XIV पुनः संरचना के प्रमुख लक्षण

XIVA संघ सरकार की लेखापरीक्षा

- संघ सरकार के संबंध में मंत्रालयों/पीएसयूज/स्वायत्त निकायों के लम्बवत् (वर्टिकल) एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए पुनः संरचना को मुख्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों दोनों के स्तर पर क्रियान्वित किया गया हैं। मुख्यालय स्तर पर संघ सरकार के संबंध में क्षेत्रीय (सेक्टोरल) रूपरेखा की समीक्षा नीचे की गई है।

	क्षेत्र
डीएआई (वाणिज्यक)	आर्थिक तथा अवसंरचना मंत्रालय
डीएआई (रिपोर्ट सेन्ट्रल एवं स्थानीय निकाय)	सामाजिक एवं सामान्य सेवा मंत्रालय तथा स्थानीय निकाय
डीएआई (सरकारी लेखे तथा केन्द्रीय राजस्व लेखापरीक्षा)	सरकारी लेखे तथा केन्द्रीय प्राप्तियां
डीएआई (रक्षा, संचार एवं रेलवे)	रक्षा, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा रेलवे

- केन्द्रीय मंत्रालयों की लेखापरीक्षा में लगे क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात महानिदेशक लेखापरीक्षा के कार्यालयों (केन्द्रीय व्यय), प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (आर्थिक सेवा मंत्रालय), प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (वैज्ञानिक विभाग), महानिदेशक लेखापरीक्षा, डाक एवं दूरसंचार, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (रेलवे), महानिदेशक/प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा तथा वाणिज्य विभाग के प्रधान निदेशक को भी क्षेत्र (सेक्टर) की रूपरेखा दी गई है।
- केन्द्रीय सरकार इकाईयों की प्राप्तियों तथा व्यय की लेखापरीक्षा हेतु नई दिल्ली, मुम्बई तथा कोलकाता में तीन मौजूदा कार्यालयों के अतिरिक्त विभिन्न शहरों में विघमान आठ शाखा कार्यालयों के साथ संलग्न, 2 अप्रैल 2012 से प्रभावी छह अन्य कार्यालय अहमदाबाद, बैंगलुरू, चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद तथा लखनऊ में खोले गए हैं। ये नौ कार्यालय तथा आठ शाखा कार्यालय केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय की लेखापरीक्षा का कार्य करते हैं।

XIVB राज्य सरकार की लेखापरीक्षा

- राज्यों में सभी लेखापरीक्षा कार्य अर्थात् सिविल लेखापरीक्षा, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, प्राप्ति लेखापरीक्षा, राज्य स्वायत्त निकाय की लेखापरीक्षा तथा स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा, एडीएआईज द्वारा उनके क्षेत्रीय प्रभार के तहत समन्वित तथा पर्यवेक्षित की जाती हैं। एडीएआईज के बीच राज्यों का वितरण नीचे दिया गया है:

एडीएआई - सीआर	एडीएआई - ईआर	एडीएआई - एनईआर	एडीएआई - एनआर	एडीएआई - डब्ल्यूआर
बिहार	आंध्र प्रदेश	अरूणांचल प्रदेश	दिल्ली	गोवा
छत्तीसगढ़	ओडिशा	असम	हरियाणा	गुजरात
झारखण्ड	पुद्दुचेरी	मणिपुर	हिमाचल प्रदेश	कर्नाटक
मध्य प्रदेश	तमिलनाडु	मेघालय	जम्मू और कश्मीर	केरल
उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	मिजोरम	पंजाब	महाराष्ट्र
		नागालैंड	उत्तराखण्ड	राजस्थान
		सिक्किम		
		त्रिपुरा		

- 2 अप्रैल 2012 से कार्यान्वित, 10 राज्यों[4] में दो राज्य लेखापरीक्षा कार्यालय अर्थात् प्रधान महालेखाकार (सामाजिक तथा सामान्य क्षेत्र) तथा प्रधान महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व विभाग) होगें। महाराष्ट्र के मामलें में, प्रधान महालेखाकारों के बीच क्षेत्राधिकार का आवंटन भौगोलिक आधार पर है। अन्य राज्यों के मामलें में, जहां पर केवल एक महालेखाकार कार्यालय है वहाँ ग्रुप अधिकारियों के बीच अधिकार का आवंटन क्षेत्र (सेक्टर) के आधार पर किया गया था।
- स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा के कार्यालयों का प्रधान महालेखाकार (सामान्य तथा सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) से संबंधित कार्यालयों के साथ विलय, 2 अप्रैल 2012 से प्रभावी कर दिया गया है।
- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की लेखापरीक्षा जहां राज्य एजेंसियां ही क्रियान्वयन एजेंसियां हैं, को राज्य महालेखाकार द्वारा किए जाने के लिए जारी रखा जाएगा।

XV लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

लेखापरीक्षा से सम्बन्धित विषयों में सीएजी को सलाह देने और निष्पादन में सुधार के लिए सुझाव देने और सीएजी के संवैधानिक अधिदेश के ढांचे के अन्तर्गत लेखापरीक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सीएजी की अध्यक्षता में एक लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें विविध क्षेत्रों से उच्च शिक्षाविद तथा पेशेवर शामिल हैं। यह बाहरी सलाह के लिए हमारी स्पष्टता का प्रतिबिम्ब है तथा अन्तर्राष्ट्रीय पीऍर रिव्यू दल द्वारा एक उत्तम प्रयास के रूप में पहचाना गया है। बोर्ड के सदस्य अवैतनिक क्षमता में कार्य करते हैं। बोर्ड में विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्ति और विभाग के डीएआई होते हैं। 2011-13 के दो वर्ष के लिए बोर्ड का गठन निम्न प्रकार से है:

श्री विनोद राय भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक	**पदेन** **अध्यक्ष**
सुश्री शैलजा चंद्रा पूर्व प्रमुख सचिव, दिल्ली	**सदस्य**

[4] आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल।

श्री टी. सेथुमाधवन सार्वजनिक वित्त सलाहकार	**सदस्य**
श्री प्रताप भानू मेहता अध्यक्ष, नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली	**सदस्य**
डॉ. ए.के. शिव कुमार सलाहकार, यूनिसेफ, नई दिल्ली	**सदस्य**
सुश्री रोहिणी नीलेकणी अध्यक्ष, अरघ्यम	**सदस्य**
सुश्री कल्पना मोरपारिया प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, जेपी मोरगन इण्डिया प्रा. लि., मुम्बई	**सदस्य**
सुश्री सुनीता नारायण महानिदेशक, विज्ञान तथा पर्यावरण केन्द्र, नई दिल्ली	**सदस्य**
श्री के. वी. कामथ अध्यक्ष, आईसीआईसीआई बैंक, मुम्बई	**सदस्य**
सुश्री शबाना आज़मी सामाजिक कार्यकर्ता	**सदस्य**
श्री प्रदीप कुमार केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त	**सदस्य**
सीए सुबोध कुमार अग्रवाल अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान	**सदस्य**
उपनियंत्रक - महालेखापरीक्षक	**पदेन सदस्य**
उपनियंत्रक - महालेखापरीक्षक (रिपोर्ट केन्द्रीय)	**पदेन सदस्य**
उपनियंत्रक - महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक)	**पदेन सदस्य**
उपनियंत्रक - महालेखापरीक्षक (सरकारी लेखे एवं केन्द्रीय राजस्व लेखापरीक्षा)	**पदेन सदस्य**
उपनियंत्रक - महालेखापरीक्षक (रक्षा, दूरसंचार एवं रेलवे)	**पदेन सदस्य**
महानिदेशक (एसएमयू)	**बोर्ड के पदेन सचिव**

लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की वर्ष 2012-13 के दौरान अर्थात 9 नवम्बर 2012 तथा 21 मार्च 2013 में दो बैठकें हुई थीं। बोर्ड ने नीतिगत लेखापरीक्षा योजना 2012-17, कुछ निष्पादन लेखापरीक्षाओं के महम्वपूर्ण निष्कर्षों, लेखापरीक्षा कार्यप्रणालियों, एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण एवं संधारणीय विकास के केन्द्र की नीतिगत योजना से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

राज्यों में लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार की अध्यक्षता के अन्तर्गत द्वारा किया जाता है। राज्यों में अन्य महालेखाकार बोर्ड के सदस्य हैं। नामित सदस्य प्रख्यात शिक्षाविदों, पेशेवरों तथा सेवानिवृत्त सिविल सेवकों में से लिए जाते हैं। लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड सभी राज्यों में बना दिए गए हैं। बोर्ड का पुनर्गठन हर दो वर्ष में किया जाता है।

अध्याय 3

महत्वपूर्ण परिणाम एवं उपलब्धियाँ - लेखापरीक्षा

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग (आईएएण्डएडी) में हम सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र में वित्तीय और निष्पादन प्रबंधन पर एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा आश्वासन प्रदान करके जवाबदेही, पारदर्शिता तथा सुशासन को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। आईएएण्डएडी लेखापरीक्षण परिणामों में सुधार लाने हेतु निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों और दिशा-निर्देशों पर आधारित नवीन लेखापरीक्षण प्रथाओं के रूप में लगातार नई पहल करता है। विभाग के महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्र, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र निकायों इत्यादि के अधीन विभिन्न लेखापरीक्षित निकायों की लेखापरीक्षा करना है।

आईएसएसएआई 20 विचार करता है कि साईज एक समयबद्ध तरीके से लेखापरीक्षा प्रारंभ एवं संचालित करें तथा सुसंगत रिपोर्टें जारी करें। उन्हें एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रत्येक लेखापरीक्षा के मुख्य परिणाम के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। निरीक्षण रिपोर्ट (आईआरज), लेखापरीक्षा रिपोर्ट, लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र लेखापरीक्षा प्रक्रिया के मुख्य परिणाम हैं। इन उत्पादों की गुणवत्ता तथा समयवद्धता सुनिश्चित करना आईएएण्डएडी का मुख्य परिणाम क्षेत्र है।

I अनुपालना, निष्पादन, वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

आईए एंड एडी के लेखापरीक्षा कार्यालय प्रत्येक वर्ष अनिवार्य आश्यकताओं, मुद्दों के महत्व, जोखिम निर्धारण तथा उपलब्ध मानवऊर्जा संसाधनों के आधार पर निष्पादन, वित्तीय तथा अनुपालना लेखापरीक्षाओं की योजना बनाते हैं।

I.क अनुपालना लेखापरीक्षा:

(i) लेखापरीक्षा कवरेज

2012-13 के दौरान कुल 50,738 ईकाईयों की लेखापरीक्षा की गई। नीचे दिया गया ग्राफ दर्शाता है कि संघ स्तर पर नियोजित लेखापरीक्षाओं का 98.28 प्रतिशत एवं राज्य स्तर पर नियोजित लेखापरीक्षाओं का 91.11 प्रतिशत पूरा हो गया था। लेखापरीक्षा कार्यालयों ने संबंधित कार्यालयों के लिए स्थापित लेखापरीक्षा मानदण्डों के अनुसार संस्वीकृतियों, वाउचरों तथा संविदाओं की भी लेखापरीक्षा की।

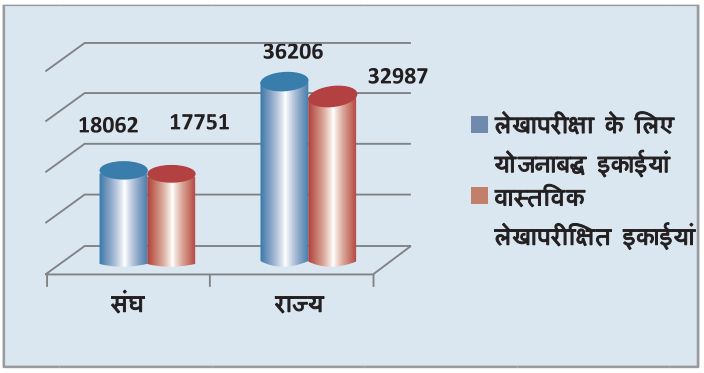

(ii) निरीक्षण प्रतिवेदन

निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा का प्राथमिक उत्पाद है। प्रत्येक लेखापरीक्षित इकाई की लेखापरीक्षा पूरी होने पर लेखापरीक्षा आपत्तियों की व्याख्या करते हुए एक निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को जारी किया जाता है। 2012-13 के दौरान हमने 47,595 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये।

संघ स्तर पर 72.02 *प्रतिशत* निरीक्षण प्रतिवेदन समय पर जारी किये गये। राज्य स्तर पर 73.63 *प्रतिशत* निष्पादन समय पर था।

	जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन	30 दिनों के अंदर जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन	30 दिनों में जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतिशतता
संघ	17512	12613	72.02
राज्य	30083	22150	73.63
कुल	47595	34763	73.04

(iii) अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा की गई आपत्तियाँ:

अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा की गई आपत्तियां संकलित की जाती है और अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के रूप में संबंधित मंत्रालय/कॉर्पोरेशन/ कंपनी को जारी की जाती है। 2012-13 के दौरान, निष्पादन लेखापरीक्षा के रूप में निर्दिष्ट की अपेक्षा 1,793 पैराग्राफ अनुपालन प्रतिवेदनों में शामिल किये गये थे। 18 लेखापरीक्षा पैरे 175 आपत्तियां में से स्वीकार कर लिये गये और संघीय स्तर पर लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा 14 लेखापरीक्षा पैरों को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था। राज्य स्तर पर, अनुपालन प्रतिवेदनों में 1,618 लेखापरीक्षा पैरे शामिल किये गये थे जिनमें से 571 स्वीकार कर लिये गये थे और लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा 261 लेखापरीक्षा पैरे आंशिक रूप से स्वीकार कर लिये गये थे।

I.ख निष्पादन लेखापरीक्षा

सीएजी ने 2012-13 के दौरान सभी क्षेत्रों में विभिन्न मामलों को कवर करते हुए 198 निष्पादन लेखापरीक्षा परिणामों को स्वीकृत किया। नीचे दी गई तालिका संघ और राज्य स्तर पर विवरणों को दर्शाती है।

	लेखापरीक्षा परिणाम
संघ स्तर	**18**
राज्य स्तर	**180**
कुल	**198**

I.ग वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा

नियंत्रक-महालेखापरीक्ष के कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तों के अधिनियम (1971) में भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा संघ और राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के व्यय और प्राप्तियों की लेखापरीक्षा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, हमसे बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर किये गये व्यय को भी सत्यापित करने की उम्मीद की जाती है।

हमने संघ और राज्य सरकारों, पीएसयूज़, स्वायत निकायों, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं और अन्य के 5,551 लेखे सत्यापित किए। 4,717 प्रमाण-पत्र निर्धारित समय सीमा में जारी किये गए।

	प्रमाणित लेखे	समय पर किये गये सत्यापन
संघ सरकार	492*	312*
राज्य सरकार	60**	60**
पीएसयूज़	1,236	865
स्वायत्त निकाय	511	396
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	183	94
अन्य	3069	2990
कुल	**5,551**	***4717 (84.98 प्रतिशत)***

* सिविल मंत्रालयों, रेलवे डाक एवं दूरसंचार और रक्षा के अनुदानों सहित

** राज्य के वित्त और विनियोजन लेखे के संबंध में

लेखापरीक्षित इकाई से लेखाओं की प्राप्तियों में विलम्ब, लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तरों की प्राप्ति में विलम्ब और स्टाफ का उपलब्ध न होना लेखाओं के विलम्बित प्रमाणन के कुछ कारण थे।

I.घ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया में लेखापरीक्षा परिणामों को प्रेषित करने के लिए एक प्रतिवेदन तैयार करना शामिल होता है। संविधान का अनुच्छेद 151 यह दर्शाता है कि भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनों को तैयार करेगा और संसद या राज्य विधान मंडल, जैसा भी मामला हो; में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। हमने 2012-13 के दौरान 138 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (स्टैण्डअलोन निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित) तैयार किये, जिनमें से 132 संसद और राज्य विधान मंडल को प्रस्तुत की गई।

	वर्ष के दौरान तैयार प्रतिवेदनों की संख्या	प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों की संख्या
संघ सरकार	24	24*
राज्य सरकारें और केन्द्र शासित प्रदेश	114	108@

* 2 प्रतिवेदन 31.3.2013 के बाद संसद में प्रस्तुत किये गये थे

@ 61 प्रतिवेदन 31.3.2013 के बाद राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत किये गये थे। पश्चिम बंगाल के छः प्रतिवेदन अभी भी राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने बाकी हैं।

II हमारा लेखापरीक्षा प्रभाव

II ए लेखापरीक्षा के अनुरोध पर की गई वसूलियां

हमारी कुछ लेखापरीक्षा अवलोकन बिंदु करों के कम निर्धारण या राजकोष में विशेष हानि की तरफ इशारा करती हैं। यह कार्यकारी द्वारा संबंधित पार्टियों से वसूलियों को अनिवार्य बना देती हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षा के अनुरोध पर की गई वसूलियों की चर्चा नीचे की गई है:

(₹ करोड़ में)

	बताई गई वसूलियां	**स्वीकृत वसूलियां**	**प्रभावित वसूलियां**
संघ सरकार	**21155.75**	**8544.88**	**2593.24**
राज्य सरकारें	**230063.83**	**27674.32**	**2943.8**
कुल	**251219.58**	**36219.2**	**5537.04**

लेखापरीक्षित संस्थाओं ने लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई वसूलियों का करीब 14.42 *प्रतिशत* स्वीकार किया। सरकार ने लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप ₹ 5537.04 करोड़ की वसूली की जो वर्ष के दौरान वसूली के लिये बताई गई राशि का केवल लगभग

2.2 *प्रतिशत* है। दिलचस्प बात है कि, लेखापरीक्षा के अनुरोध पर की गई वसूलियां भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के कुल बजट के दुगुने से अधिक थीं।

II ख निष्पादन लेखापरीक्षा

सीएजी ने 2012-13 के दौरान 198 निष्पादन लेखापरीक्षा उत्पाद को स्वीकृत किया। हमने संघ और राज्य स्तर पर हमारे द्वारा लेखापरीक्षित इकाईयों को 1,516 सिफारिशें की। इसमें से 454 सिफारिशें (29.95 *प्रतिशत*) लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। नीचे दी गई तालिका संघ और राज्य स्तर पर विवरणों को दर्शाती है।

	लेखापरीक्षा उत्पाद	की गई सिफारिशें	स्वीकृत सिफारिशें
संघ स्तर	**18**	**235**	**67 (28.51 *प्रतिशत*)**
राज्य स्तर	**180**	**1,281**	**387 (30.21 प्रतिशत)**
कुल	**198**	**1,516**	**454(29.95 प्रतिशत)**

II ग पीएसयूज़ के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा का वित्तीय प्रभाव

सरकारी कंपनियों और निगमों के वार्षिक लेखाओं के मामले में हम कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा करते हैं। कंपनियों और निगमों की संघ स्तर की तीन चरणीय लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप किये गये सुधार नीचे तालिका में दिये गये हैं:

	कंपनियों की सं.	₹ करोड़ में
लेखाकरण नीतियां/लेखाओं के लिये टिप्पणियां/वर्गीकरण गलतियां, आदि।		
क) लेखाकरण नीति पर प्रभाव	9	461.30
ख) लेखाओं के लिये टिप्पणी में संशोधन	25	2134.33

ग) वर्गीकरण गलतियां	26	9,462.42
कुल	**60**	**12,058.05**
टिप्पणी किये गये लेन-देनों पर प्रभाव		
(क) लाभ	47	4,342.83
(ख) हानि	10	379.23
(ग) परिसम्पत्तियां	36	1,719.85
(घ) देयताएं	41	1,633.41
कुल	**134**	**8,075.32**

V मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमारी लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप हमनें नियमों, विनियमों में विचलन, योजनाओं और आयोजन कार्यान्वयन में कमियों, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी आदि के कई उदाहरण बताये।

V क संघ वित्त पर वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए प्रतिवेदन सं. 1

रिपोर्ट में दर्शाये गये महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे सूचीबद्ध हैं:

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 114(3) का उल्लंघन- करों के प्रतिदायों पर ब्याज पर किया गया व्यय।

वर्ष 2010-11 में संसद की अनुज्ञप्ति के बिना, ₹ 10,499 करोड़ की आय कर राशि पर प्रतिदायों पर ब्याज का व्यय प्रत्यक्ष कर केंद्रीय बोर्ड द्वारा किया गया। ब्याज भुगतानों पर ₹ 37,365 करोड़ का कुल व्यय आवश्यक विनियोजनों द्वारा संसद की स्वीकृति प्राप्त किये बिना विगत पांच वर्षों में किया गया था।

इस लेखापरीक्षा आपत्ति के आधार पर, मामले की विस्तृत जांच के बाद लोक लेखा समिति (पीएसी) ने विषय पर फरवरी 2013 में अपना 66वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(ii) उद्देश्य-शीर्षों के प्रावधानों का संवर्धन-विधानमंडल की स्वीकृति के बिना सहायता अनुदान और सब्सिडी

औसत कुल ₹ 1634.34 करोड़ के अनुदानों, निधियों की संख्या के 29 मामलों में, संसद का पूर्व अनुमोदन; जो आवश्यक था, प्राप्त किये बिना वर्ष 2010-11 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा पुनर्विनियोजन द्वारा संवर्धित किया गया था।

इस लेखापरीक्षा आपत्ति के आधार पर, मामले की एक विस्तृत जांच के बाद लोक लेखा समिति (पीएसी) ने विषय पर अप्रैल 2013 में अपना 83वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(iii) यूनिवर्सल सेवा देयता निधि में उद्ग्रहण को जमा न करना

कुल ₹ 37,223.92 करोड़ यूनीवर्सल एक्सेस लेवी दूरसंचार विभाग द्वारा 2002-03 से 2010-11 की अवधि के दौरान संग्रहित किया गया था। हालांकि केवल ₹ 13,471.44 करोड़ सार्वभौमिक सेवा देयता निधि (यूएसओ निधि) को स्थानांतरित किये गये थे। इसलिए, ₹ 23,752.48 करोड़ तक यूएसओ निधि में कम स्थानांतरित किया गया था।

(iv) निधि में क्लीन एनर्जी उपकर को जमा न करना

वर्ष 2010-11 के दौरान क्लीन एनर्जी उपकर के संबंध में ₹ 1,066.46 करोड़ संग्रहित किया गया था। इस प्रकार संग्रहित उपकर लोक लेखा में राष्ट्रीय क्लीन एनर्जी निधि में स्थानांतरित किया जाना था। यह समर्पित निधि क्लीन एनर्जी तकनीकी में निधियन अनुसंधान और नवीन परियोजनाओं के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए तैयार किये गये थे। हालांकि, ऐसी समर्थित निधि लोक लेखा में नहीं रखी गई थी।

V ख निष्पादन लेखापरीक्षाओं के संबंध में मुख्य लेखापरीक्षा आपत्तियां

निष्पादन लेखापरीक्षाओं के कुछ निष्कर्ष नीचे सूचीबद्ध किये गये हैं:

(i) आयकर विभाग में आईटी आवेदन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

आईटीडी आवेदनों के चार माड्यूल, नामत: प्रक्रियागत रिटर्नों के लिए एएसटी, कर लेखाकरण और भुगतान सूचना प्रदान करने के ओएलटीएएस, टीडीएस योजना के

अंतर्गत करों के भुगतान के विवरण पर सूचना के साथ एएसटी प्रदान करने हेतु ई-टीडीएस और मांग के संबंध में प्रत्येक निर्धारिती का एक लेजर खाता रखने के लिए आईआरएलए तथा प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए कर के प्रतिदाय की समीक्षा के परिणामों का स्वसंपूर्ण निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया। मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

- एएसटी/सीपीसी आवेदन निर्धारिती का कानूनी विवरण नहीं जोड़ता है। यह न तो संवीक्षा निर्धारण विवरणों को रिकॉर्ड करता है न ही यह जुर्माना प्रक्रियाओं और अपीलों को रिकॉर्ड करता है। एएसटी द्वारा पहचाने गये सभी फाईल न करने वालों को अधिसूचनाएं जारी नहीं की गई हैं।
- आईटीडी ने बैंको द्वारा बताये गये और सरकारी लेखों की सत्यता के लिए कार्यान्वयनों के साथ जोनल लेखा कार्यालयों द्वारा लेखाकरण के अनुसार राजस्व एकत्रण का मिलान नहीं किया। हमने पाया कि संग्रहण के लिए अप्राधिकृत या प्राधिकृत सूची में न आने वाली कई बैंक शाखाएं कर संग्रहण कर रही थीं। हमने पाया कि आईआरए ओएलटीएएस से प्रत्यक्ष रूप से क्रेडिट विवरण प्राप्त नहीं करता है और एएसटी कर क्रेडिटों की जांच हेतु ओएलटीएएस के साथ संपर्क करता है और फिर उसे आईआरएलए को भेजता है।
- आईटीडी ने आय कर रिटर्न की ई-फाईलिंग के साथ ई-बैंकिग को लिंक नहीं किया था।
- सूचना प्रौद्योगिकी में व्यापारिक प्रक्रियाओं और निवेश की पर्याप्त आऊटसोर्सिंग के बावजूद, लंबित निर्धारण वित्त वर्ष 2007 से वित्त वर्ष 2011 तक पांच वर्ष की अवधि में कम सुधारों को दर्शाया है।

(ii) भारतीय रेल के स्टेशनों, ट्रेनों और ट्रैकों में पर्यावरण प्रबंधन

भारतीय रेल (आईआर) देश में माल और यात्रियों के आवागमन हेतु सबसे बड़ी अकेली वाहक है। भारतीय रेल के संचालन न केवल वायु प्रदूषण पैदा करते हैं बल्कि ये पानी और ध्वनि प्रदूषण भी पैदा करते हैं। इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति भारतीय रेल का दृष्टिकोण में देश की पर्यावरणीय समस्या से निपटने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 2006-07 से 2010-11 की अवधि को शामिल करते हुए

पर्यावरणीय जोखिम प्रबंधन में भारतीय रेल की भूमिका जानने के लिए एक विस्तृत लेखापरीक्षा की गई थी। निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित मुद्दों पर प्रकाश डाला गया:-

- सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, सभी साइडिंग्स और रेलवे माल शेड्स को उनके संबंधित एसपीसीबीज़ से संचालन के लिए सहमति लेनी आवश्यक है। इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन आंशिक था। यहाँ तक कि रेलवे प्रशासन द्वारा मौजूदा सांविधिक प्रावधानों और पश्चिम बंगाल, झारखण्ड और ओड़िशा के एसपीसीबीज़ द्वारा जारी निर्देशों का भी पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा था। चौदह प्रमुख स्टेशनों पर प्रदूषण के स्तर निर्धारित करने और सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा के अनुरोध पर सीपीसीबी द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला कि भारतीय रेल सामान्यत: सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहा।
- स्टेशनों पर बेकार गए पानी की मात्रा और गुणवत्ता की मॉनीटरिंग के लिए कोई प्रणाली नहीं थी। सभी मुख्य स्टेशनों पर जलशोधन संयंत्र लगाने के रेलवे बोर्ड के निर्देशों का भी पालन नहीं किया गया। बार-बार मुख्य स्टेशनों से नजदीकी कम सतही क्षेत्रों/जल निकायों के हटाने और नगरपालिका संबंधी निर्वहन प्रणाली के परिणामस्वरूप आस-पास की सतह का और भूमिगत जल प्रदूषित हुआ।
- जल का एक मुख्य उपयोगकर्ता होनेके बावजूद जल संरक्षण विधियों को लागू करने में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई।
- रेल प्रचालन में ठोस और प्लास्टिक अपशिष्ट दोनों के विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट बड़ी मात्रा में निकलते हैं। सड़ने वाले और न सड़ने वाले अपशिष्टों को अलग न करना, अपर्याप्त भण्डारण सुविधाएं और कूड़े-करकट का अनुचित निपटान रेलवे स्टेशनों पर सामान्य बातें थीं। पर्याप्त और उचित संग्रहण तथा प्लास्टिक अपशिष्टों को अलग किया जाना और उनके निपटान से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।
- भारतीय रेल प्रतिदिन यात्रियों का अकेला सबसे बड़ा वाहक है और लगभग 3980 मी.टन अपशिष्ट पैदा करता है जो सीधे रेल पटरियों पर फेंके जाते हैं। यह स्टेशनों तथा रेल मार्गों, दोनों को दूषित करता है। भारतीय रेल

1993 से पर्यावरण अनुकूल शौचालयों की विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग कर रही है। अपने कोचों के लिए शौचालयों के विभिन्न पद्धतियों पर दो दशकों से अधिक प्रयोग करने/आजमाने के बावजूद यह अपने रेल गाड़ियों के शौचालयों में शौच के कारण पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए एक उपयुक्त विकल्प बनाने में विफल रहा।

VI लेखापरीक्षा के अनुरोध पर नीतियों, नियमों, कानूनों में परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन

मौद्रिक प्रभावों के अलावा, लेखापरीक्षा आपत्तियों के आधार पर नीति, कानून, नियमों में बदलाव और सरकार द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार है:

संघ लेखापरीक्षा

VI क केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर

- हमने बताया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) 2011-12 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 15 की सिफारिश सं. 2 के अनुसार गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियों को उनके सेवाकर जाल के अंतर्गत लाने से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए आरबीआई जैसे सांविधिक प्राधिकारियों के साथ संपर्क कर सकता है। तदनुसार, सीबीईसी ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए तथा उन्हें सेवाकर जाल के अंतर्गत लाने के लिये आरबीआई के साथ संपर्क करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किए।

- हमने सुझाव दिया था कि बोर्ड पिछले निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में हमारे द्वारा पहले से इंगित मामलों की जांच करने हेतु आयुक्तालयों के लिए अंतिम तिथि निर्धारित कर सकता है। यह ऐसी जांच करने के लिए लक्ष्य भी निर्धारित कर सकता है और 2011-12 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 25 की सिफारिश सं. 1 के विरोधाभास और अस्पष्टता को दूर करने के लिए इस कार्य हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर सकता है। तदनुसार, सीबीईसी के सभी मुख्य आयुक्तालय/आयुक्तालयों को मंत्रालय के निर्णय से अवगत करा दिया गया है कि

उनके द्वारा सूचित किए जाने के 8 सप्ताह के भीतर आयुक्तालयों द्वारा जांच पूरी कर ली जानी चाहिए।

- हमने सुझाव दिया था कि उपयुक्त नियंत्रण तंत्र स्थापित किया जाए ताकि पंजीकरण प्रमाण पत्र देने और 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 25 की सिफारिश सं. 4 के अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्रों के सरेंडर स्वीकार करने में देरी को रोका जा सके। सीबीईसी ने सभी निर्धारितियों को 15 दिन के भीतर अपेक्षित दस्तावेज भेजने हेतु निर्देश जारी किए हैं जिसमें विफल होने पर उनका पंजीकरण अपूर्ण होने के कारण अस्वीकृत किया जा सकता है।

VI ख वाणिज्यिक उपक्रम

- भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (भेल)- हमारी लेखापरीक्षा आपत्तियों के आधार पर भेल के कारपोरेट प्रबंधन ने भविष्य में मशीनों की ईएण्डसी में किसी देरी से बचने के लिए कई अन्य सुरक्षा को शामिल करने के अलावा ईएण्डसी में देरी के प्रति परिनिर्धारित क्षति (एलडी) उद्ग्रहण के लिए प्रावधान और निर्माण एवं चालू करने का निर्धारित समय उसमें विनिर्दिष्ट करते हुए पूँजीगत मदों की अधिप्राप्ति के लिए अपने दिशा-निर्देशों को संशोधित किया।

- नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी)- ''मार्ग योजना के अभाव के कारण हानि'' शीर्षक से 2012-13 की रिपोर्ट सं. 8 के पैरा सं. 12.4 के आधार पर जिसमें ''सर्वोत्तम मार्गों के बजाय अन्य मार्गों से कोयले की आपूर्ति के कारण एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा किए गए परिहार्य व्यय पर प्रकाश डाला गया था, एनटीपीसी लिमिटेड के प्रबंधन ने कोयले के आयात के अपने प्रावधानों में परिवर्तन कर दिया जिसमें बोलीदाता भारत में किसी डिस्चार्ज पोर्ट के माध्यम से कोयला आयात करने के लिए स्वतंत्र होगा और संबंधित एनटीपीसी संयंत्रों के बोलीदाता द्वारा उद्धृत दरों के आधार पर भुगतान किया जाएगा, केवल रेलवे मालभाड़ा या फेरी प्रभारों को छोड़कर, जो उद्धृत प्रभारों तक सीमित वास्तविक के अनुसार देय होगा।

- एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड- एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड प्रबंधन ने अपनी आय में फ्लाई एश उत्पादों और फ्लाई एश की बिक्री पर संग्रहण के जमा पर इसको 'फ्लाई एश उपयोग निधि' को स्थानांतरित करने के बजाय इस पर अर्जित ब्याज को शामिल कर लिया था। हमारी आपत्तियों के आधार

पर, कंपनी ने अपनी लेखाकरण नीति में बदलाव किया है और अब उपरोक्त ब्याज आय को 'फ्लाई एश उपयोग निधि' को स्थानांतरित करने लगी है।

- एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड- एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड प्रबंधन ने जवाहर लाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत सौर ऊर्जा उत्पादकों के गैर निष्पादन पर बैंक गारंटी के नकदीकरण पर प्राप्त राशि को अपनी आय के रूप में शामिल कर दिया था। उपरोक्त प्रक्रिया को रोकने हेतु हमारी आपत्ति के आधार पर कंपनी ने अपनी लेखाकरण नीति में बदलाव कर लिया है और अब बैंक गारंटी के नकदीकरण पर प्राप्त राशि को कंपनी की वर्तमान देयता के रूप में मानना शुरू कर दिया है।

- इंडियन ऑयल कापोरेशन लिमिटेड (आईओसी)- आईओसी मौजूदा देयताओं के अंतर्गत ''कनैक्शन प्राप्त करते समय एलपीजी उपभोक्ताओं द्वारा किये गये जमा'' को प्रस्तुत किया था। हालांकि, चूँकि बैलेंस शीट की तारीख से बारह महीने के अंदर इस खाते के अधीन बकाया सारी राशि के प्रतिदाय की संभावना काफी कम थी, कंपनी अधिनियम, 1956 की पुनर्संशोधित अनुसूची-VI के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा ने टिप्पणी की कि मौजूदा देयताओं के अधीन जमा करना न्यायसंगत नहीं था। लेखापरीक्षा आपत्तियों के आधार पर, कंपनी ने वर्गीकरण में परिवर्तन कर दिया और एलपीजी उपभोक्ताओं द्वारा किये गये जमा को अवधि 2012-13 के लिए खातों से ''नॉन-करंट देयताओं'' के अंतर्गत वर्तमान में वर्गीकृत किए जा रहा है।

VI.ग रेलवे

- हमारी लेखापरीक्षा आपत्ति के आधार पर, रेलवे बोर्ड बाद में अस्पष्टता से बचने के लिए स्वयं एमओयू स्तर में पावर कम - ट्रैफिक ब्लॉक हेतु मांग पार्टियों पर उगाही किये जाने वाले विभिन्न प्रभारों को निगमित करने के लिए सहमत हो गया।

- हमारी लेखापरीक्षा आपत्तियों पर आधारित, रेलवे बोर्ड ने उपयुक्त तंत्र डिवाइस करने और ठेकेदारों जिन्होंने कार्य के निष्पादन के दौरान रेल ट्रैकों के साथ रेलवे केबल की क्षति की है; से उचित जुर्माना वसूल करने हेतु जोनल रेलवे को निदेश दिए।

VI घ संघ व्यय:

- लेखापरीक्षा आपत्ति के आधार पर, रक्षा मंत्रालय ने आगामी निविदाओं में एक क्लॉज समाविष्ट करने के लिए आयुध कारखाना बोर्ड (ओएफबी) को निदेश दिए ताकि संयंत्र और प्राप्त मशीनरी समय सीमा के अंदर स्थापित और चालू की जा सके। समय पर मशीनरी को चालू करने के लिए ओएफबी ने सिविल कार्यों सहित टर्नकी परियोजनाओं को ध्यान में रखने की सलाह दी थी।

VII अनुवर्ती कार्यवाही

इससाई 10 सुझाव देता है कि साई के पास अनुवर्ती कार्यवाही हेतु स्वतंत्र पद्धतियां होनी चाहिएं जो यह सुनिश्चित कर सके कि लेखापरीक्षित संस्थाओं ने उनकी टिप्पणियों और सिफारिशों को उचित ढंग से समझा है और उन पर सुधारात्मक कार्यवाही कर ली गई है। लेखा और लेखापरीक्षा विनियम 2007 में यह प्रावधान है कि संबंधित विभाग के सरकार के सचिव अपने विभाग से संबंधित लेखापरीक्षा पैराग्राफ (पैराग्राफों) जो पीएसी/कोपू के प्रस्तुतीकरण हेतु, लेखापरीक्षा में शामिल नहीं है, पर की गई स्व व्याख्यात्मक कार्यवाही टिप्पणी (टिप्पणियों) तैयार करेगा। कार्यवाही टिप्पणी दर्शाती है कि क्या

- लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दिये गये तथ्य और आंकड़ें स्वीकार्य हैं;
- लेखापरीक्षा पैराग्राफ में बताई गई वे परिस्थितियां जिनमें अनियमितताएं हुई;
- दायित्व निर्धारण हेतु की गई कार्यवाही और कार्यवाही को पूरा करने हेतु संभावित समय सीमा;
- वसूली की वर्तमान स्थिति;
- लेखापरीक्षा द्वारा दिये गये सुझावों और सिफारिशों पर प्रस्तावित या की गई कार्यवाही; और
- भविष्य में ऐसे मामलों के घटित होने से बचने के लिए प्रस्तावित या की गई उपचारात्मक कार्यवाही।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2013 तक की गई कार्यवाही टिप्पणी की स्थिति दर्शाती है:

	31 मार्च 2013 के अंत तक प्रतीक्षित एटीएन	वर्ष के दौरान निपटाये गये एटीएन
संघ स्तर	657	861
राज्य स्तर	10,476	1,551
कुल	11,133	2,412

अध्याय 4

महत्वपूर्ण परिणाम और उपलब्धियाँ – लेखा एवं हकदारी

संविधान के अनुच्छेद 149 में संघ और राज्य सरकारों के लेखाओं को संकलित, तैयार और प्रस्तुत करने के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को अधिदेश दिया जाता है। वर्तमान रूप से हम राज्य सरकारों के लेखाओं के संकलन और तैयार करने, जीपीएफ लेखाओं के रखरखाव एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन भुगतानों को प्राधिकृत करने के लिए उत्तरदायी हैं। तदनुसार, मासिक सिविल लेखे, वित्त लेखे और विनियोग लेखे महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। 2012-13 के दौरान इस स्कंध के महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र और उपलब्धियों की चर्चा नीचे की गई है:

I महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र

(i) एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

2005 में भारत सरकार (जीओआई) ने सभी राज्यों में कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण पर कार्यवाही की पहल की। इस पहल को एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) के रूप में अंकित किया। भारत सरकार, राज्य सरकारों, महालेखाकारों (लेखा/लेखापरीक्षा), आरबीआई, एजेंसी बैंक और सीजीए मुख्य पणधारक हैं। जुलाई 2010 में, भारत सरकार ने राज्य विशिष्ट आईएफएमएस को डिजाइन करने, विकसित और कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता के साथ एक मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना के कार्यान्वयन को स्वीकृत किया, जो ई-भुगतान और ई-पावतियों की प्रक्रिया को आरंभ/पूरा करेगी। ले. एवं हक./लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा स्वीकृत की जाने वाले ई-लेन-देन की सीमा डाटा समेकता और आश्वासन के अंतर्गत विभिन्न प्रणाली नियंत्रणों के अस्तित्व पर निर्भर होंगी कि डाटा पूरी प्रक्रिया में केवल एक ही बार दर्ज किया जा सकता है और एक बार दर्ज किया गया डाटा एक स्वीकार्य प्रक्रिया के माध्यम को छोड़कर नहीं किया जा सकता है। इसलिए, ले. एवं हक./लेखापरीक्षा कार्यालय को आईएफएमएस/ई-लेन-देनों को प्राप्त और समेकित/लेखापरीक्षा करने के लिए उनकी मौजूदा प्रक्रियाओं को पुन:जांच करने की आवश्यकता होगी। चूँकि प्रत्येक आईएफएमएस स्वतंत्र है, प्रत्येक राज्य में मौजूदा वीएलसी के संशोधन में

महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता होगी। इन सभी के लिए महालेखाकार (लेखा. एवं हक.) को आईएफएमएस का डिजाइन तैयार करने, विकसित करने और कार्यान्वयन करने में राज्य सरकार के साथ गहन समन्वय के करने की आवश्यकता है। यह मामला संबंधित राज्यों के सभी मुख्य सचिवों के साथ उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सरकारी लेखा) द्वारा यह दर्शाते हुए उठाया गया है कि महालेखाकार परियोजना में "आंतरिक पणधारकों" के रूप में माने जाएंगे। महालेखाकार (लेखा एवं हक) को मुख्य सचिवों के साथ मामलों की अनुवर्ती कार्यवाही के लिए भी अनुरोध किया गया है।

(ii) महत्वपूर्ण परिणाम क्षेत्र (केआरए) रिपोर्टिंग की शुरूआत

जुलाई 2012 में सरकारी लेखा स्कंध में तिमाही महत्वपूर्ण परिणाम क्षेत्र (केआरए) रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू की गई है। केआरए रिपोर्टिंग को सभी लेखा व हकदारी कार्यालयों में एएओ से उच्चाधिकारियों के स्तर पर मॉनीटरिंग, नियंत्रण और आंतरिक जवाबदेही के लिए एक प्रभावी तंत्र के रूप में बनाया गया है। सभी पीएजी/एजी (ले.व हक.) कार्यालयों की केआरए रिपोर्टों की मुख्यालय कार्यालय द्वारा तिमाही मॉनीटरिंग की जा रही है तथा सभी ले.व हक. कार्यालयों को केआरए रिपोर्टों पर मूल्यांकन टिप्पणयाँ जारी की जा रही हैं। इसी प्रकार की प्रणाली ग्रुप अधिकारियों और निचले पर्यवेक्षक स्तर अर्थात एएओ के लिए भी है। केआरए रिपोर्टों की मुख्यालय में उप-नियंत्रक महालेखापरीक्षक (जीए एण्ड सीआरए) के स्तर पर मॉनीटरिंग और मूल्यांकन किया जा रहा है। केआरए रिपोर्ट में ले. व हक. कार्यालयों के कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए सुनिश्चित मापदण्डों के संबंध में तिमाही के तीन महीनों हेतु मासिक स्थिति निहित होती है। इस प्रकार, ले. व हक कार्यालयों से प्राप्त होने वाली 20 रिटर्न्स/रिपोर्टों को बंद कर दिया गया है। यह पहल न केवल मूल्यांकन प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए है बल्कि इससे कागज/डाक व्यय में भी कमी होगी क्योंकि ये सभी केआरए रिपोर्टें ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं और इसका ऑनलाइन मूल्यांकन किया जा रहा है। मूल्यांकन टिप्पणियाँ डीएआई (जीए एण्ड सीआरए) द्वारा संबंधित पीएजी/एज़ी को ई-मेल के माध्यम से भेजे जा रहे हैं।

केआरए रिपोर्टिंग के अलावा, सभी ले. व हक. कार्यालयों में राज्य प्रोफाइल और कार्यालय प्रोफाइल भी शुरू किया गया है जो उच्चतर प्राधिकारियों को क्षेत्रीय

कार्यालयों की गतिविधियों के विभिनन पहलुओं पर नजर रखने में बहुत सहायक यंत्र भी है।

II नवीनता और पहल

ले. व हक. कार्यालयों और राज्य सरकार के वित्त विभाग के बीच एंट्री और एग्ज़िट कांफ्रेस की संकल्पना की शुरूआत

ले. व हक. कार्यालयों और राज्य सरकार के वित्त विभाग के बीच एंट्री और एग्ज़िट कांफ्रेस की संकल्पना की शुरूआत इसी वर्ष में की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि आगे से सभी विभागाध्यक्ष (ले.व हक.) राज्य सरकार के वित्त सचिव के साथ वार्षिक एंट्री और एग्ज़िट कांफ्रेंस करेंगे। सभी प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (ले.व हक.) के परामर्श से एक मॉडल नमूना तैयार किया गया था और (ले.व हक.) के सभी पीएजी/एजी को जारी किया गया था जिसे राज्य विशेष की आवश्यकतानुसार संशोधित किया जा सकता है। यह निर्णय लिया गया था कि पीएजी/एजी (ले.व हक.) भी कांफ्रेन्स का समय निर्धारित कर सकत हैं, लेकिन आदर्श रूप में एग्ज़िट कांफ्रेंस बजट समीक्षा समाप्त होने के तुरन्त बाद और एग्ज़िट कांफ्रेंस उस वर्ष के लिए वित्त और विनियोग लेखे बनाने के अंतिम चरण में निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके अनुपालन में वर्ष 2012-13 के लेखाओं के लिए एंट्री कांफ्रेंस और वर्ष 2012-13 के लिए एग्ज़िट कांफ्रेस अधिकतर ले.व हक. कार्यालयों में आयोजित किए गए। इस पहल की राज्य सरकारों द्वारा बहुत सराहना की गई।

III हमारा लेखा निष्पादन

III ए लेखा स्कंध के लिए कार्ययोजना

राज्य के एजी (ले. व हक.) निर्धारित समय-सीमा के अनुसार राज्य सरकार को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:

(क) मासिक सिविल लेखे;

(ख) वित्त एवं विनियोग लेखे;

(ग) एक दृष्टि में लेखे;

(घ) व्यय की रिपोर्ट सहित राज्य सरकार को विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट;

(ङ) आहरण एवं वितरण अधिकारी वार व्यय ऑकड़े, चेतावनी पर्ची; और

(च) अनुदानवार अधिक व्यय

इन दस्तावेजों के समय पर प्रतिपादन और प्रस्तुतीकरण पर क्षेत्रीय के साथ-साथ मुख्यालय कार्यालय के स्तर पर भी मॉनीटरिंग की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कोषागार का भी निरीक्षण किया जाता है कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कोषागार की उपयुक्त जॉच की जा रही है।

III बी समयबद्धता

आईएएडी के 27 लेखा कार्यालयों को राज्य सरकार को मासिक लेखे प्रस्तुत करना था। हालांकि 15 लेखा कार्यालयों ने समय पर मासिक सिविल लेखे प्रस्तुत किए जबकि 12 लेखा कार्यालयों द्वारा मासिक सिविल लेखे देरी से प्रस्तुत किए गए। वर्ष के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले 351 मासिक सिविल लेखे में से 231 लेखे समय से भेजे गए जबकि 120 लेखे में देरी हुई। देरी करने वाले मुख्य लेखा कार्यालयों मे आठ पूर्वोत्तर राज्य, एक राज्य केंद्रीय क्षेत्र से, एक राज्य पश्चिम क्षेत्र से और एक उत्तरी क्षेत्र से थे जो राज्य सरकार के प्रस्तुत करने वाली यूनिटों के कोषागारों/मण्डलों/अन्य लेखाओं से लेखाओं की विलम्बित प्राप्ति के कारण से थे।

III सी पूर्णता

प्रस्तुत किए गए 87.18 *प्रतिशत* मासिक सिविल लेखे सभी पहलुओं से पूर्ण थे। 27 में से 20 लेखा कार्यालयों ने राज्य सरकारों को पूर्ण मासिक लेखे प्रस्तुत किए थे। सात लेखा कार्यालयों में प्रस्तुत किए गए मासिक लेखे अपूर्ण थे क्योंकि कोषागारों आदि से लेखाओं की देर से प्राप्ति के कारण कोषागारों को मासिक लेखाओं से अलग कर दिए गए थे।

III डी राज्य सरकारों को प्रस्तुत किए जाने वाले लेखे में देरी और लेखे की अपूर्णता का कारण

लेखे प्रस्तुत करने में विलम्ब के मुख्य कारण कोषागारों/मंडलों तथा राज्य सरकार के लेखे प्रस्तुत करने वाली यूनिटों द्वारा देरी से लेखे की प्राप्ति, कर्मचारियों की कमी और सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर में तकनीकी समस्याएं थीं। कोषागारों द्वारा लेखे प्रस्तुत करने में देरी का कारण कभी-कभी खराब और दुर्गम सड़क मार्ग भी हैं। लेखे से कोषागारों/डिविजनों को अलग रखने का कारण लेखाओं की देरी से प्राप्ति था।

IV कोषागार निरीक्षण

कोषागार का निरीक्षण यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए किया जाता है कि कोषागार निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार जांच का पालन कर रहे हैं। एजी (ले व हक) राज्य सरकार के लेखें का संकलक और तैयार करने वाले रहा है, जो कोषागारों में आंतरिक नियंत्रक तंत्र की जांच करता है। कोषागारों के निरीक्षण करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोषागारों द्वारा प्रारंभिक लेखे को तैयार करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पूर्णत: अनुपालन और विभिन्न जांच की जाती है।

कोषागारों के साथ-साथ उप कोषागारों के स्तर पर निरीक्षण किया जाता है। हमने 98;77 *प्रतिशत* नियोजित कोषागार का निरीक्षण किया। राज्य सरकारों ने हमारी 83.29 *प्रतिशत* सिफारिशें मान ली जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है:

विवरण	नियोजित निरीक्षणों की संख्या	किए गए निरीक्षणों की संख्या	जारी की गई निरीक्षण रिपोर्टें	की गई सिफारिशें	मान ली गई सिफारिशें
कोषागार	659	651	645	644	509
उप कोषागार	1539	1520	1,179	176	174
कुल	**2,198**	**2,171**	**1,824**	**820**	**683**

IVए 2012-13 के दौरान कोषागार निरीक्षणों के मुख्य निष्कर्ष

हमने संक्षिप्त आकस्मिक व्यय (एसी) बिलों के विलम्ब से प्रस्तुत करने/न करने, पेंशनरी लाभों का अधिक भुगतान, राज्य की समेकित निधि के बजाय वैयक्तिक बही खाता में सरकारी प्राप्तियों का क्रेडिट करने वाले उदाहरण हेतु राज्यों के वित्तीय प्रबंधन को प्रभावित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन में विचलन देखे। ऐसे सभी मामलों को आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को सूचित किया गया था।

V हमारे हकदारी निष्पादन

Vए निपटाए गए पेंशन मामले

आईएएण्डएडी में 19 लेखा एवं हकदारी कार्यालयों द्वारा पेंशन प्राधिकार जारी किया जाता है। इन कार्यालयों ने 4,48,050 पेंशन और संशोधन मामले निपटाए। मामलों

को निपटाने में लिया गया औसत समय 30 दिनों (बिहार, हरियाणा एवं झारखण्ड) से 65 दिनों (तमिलनाडु) के बीच था। जबकि 11 कार्यालयों में पेंशन मामलों की प्रक्रिया में कोई विलम्ब नहीं था, बाकी कार्यालयों में 2 दिनों से 27 दिनों के बीच औसत विलम्ब था। संशोधन मामलों के लिए पुराने अभिलेखों से अभिलेख प्राप्त करने में देरी, बड़ी मात्रा में संशोधन मामलों की प्राप्ति, अपूर्ण पेंशन प्रस्ताव, कर्मचारियों की कमी और विभाग से उत्तर/स्पष्टीकरण प्राप्त होने में देरी पेंशन मामलों की कार्यवाही में विलम्ब के कुछ कारण थे।

V बी सामान्य भविष्य निधि लेखाओं का रखरखाव

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में लेखा एवं हकदारी कार्यालय राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखाओं (जीपीएफ) के रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं। वर्ष 2012-2013 के दौरान हमने 22 ले.व हक. कार्यालय के माध्यम से 39,40,227 जीपीएफ खातों का रख रखाव किया। 37,98,132 जीपीएफ खातों के संबंध में अर्थात् 96.39 *प्रतिशत* लेखा पर्चियां समय से जारी की गई थी।

अनुरक्षित जीपीएफ लेखाओं की संख्या	समय पर जारी की गई लेखा पर्चियों की संख्या
39,40,227	**37,98,132**

VI ग्राहक शिकायतों का समाधान करने के लिए किए गए विशिष्ट उपाय/उठाए गए नये कदम

हम अपने ग्राहकों को निश्चित समय के अन्दर सेवाएं प्रदान करने और उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत हैं। हम इस प्रयास में उनके सहयोग की अपेक्षा से पणधारकों के साथ बातचीत करते हुए पर्याप्त सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु प्रौद्योगिकी का सहारा ले रहे हैं। इस सेक्शन में कुछ लेखा एवं हकदारी कार्यालयों द्वारा किए गए पहल का वर्णन किया गया है।

VI ए आंध्र प्रदेश:

प्रधान महालेखाकार (ले व हक) आंध्र प्रदेश ने निम्नलिखित नई पहल की हैं:

(i) फरवरी 2013 से वेब आधारित ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण।

(ii) क्रेडिट/डेबिट, स्वीकृति पर कब्जे, गुम क्रेडिट, गुम डेबिट इत्यादि के पोस्टिंग की जानकारी के आदान-प्रदान के लिए उपभोक्ताओं को एसएमएस करना।

(iii) डीडीओ के साथ आगे संपर्क करने के लिए अभिदाताओं को अपना प्राधिकार जानने हेतु प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) के वेबसाइट पर डीडीओ को भेजी गई प्रति का स्पीड पोस्ट नं. जैसे अंतिम भुगतान प्राधिकार विवरण दर्शाना।

VI बी कर्नाटक:

प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.), कर्नाटक ने निम्नलिखित शुरूआत की:

(i) कार्यालय की वेबवाइट पर अपलोड करके ई-वार्षिक जीपीएफ खाता विवरण जारी करना।

(ii) सभी आवक पत्राचार, अंतिम आहरण दावों और आंशिक अंतिम आहरण दावों के लिए डाक मॉड्यूल का कार्यान्वयन।

VI डी महाराष्ट्र-I:

पेंशन मामलों का डाटा इस कार्यालय के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है ताकि पेंशनर बिना कार्यालय आये अपने पेंशन मामलों की स्थिति जान सकें।

VI ई महाराष्ट्र-II:

महालेखाकार (ले. व हक.), महाराष्ट्र-II ने निम्नलिखित शुरूआत की:

(i) विशेष आवश्यकताओं, स्थानीय भाषा अर्थात् मराठी नाम की "पेंशन मार्गदर्शिका" में मुद्रित महत्वपूर्ण जीआरज़ उद्धरण की विभागीय स्तर पर पेंशन निपटाने के तरीके को शामिल करते हुए एक बुकलेट बनाया गया था। सभी पणधारकों के बीच जागरूकता लाने के लिए अमरावती और नांदेड़ में आयोजित पेंशन अदालत में बुकलेट वितरित किए गए थे।

(ii) 01.01.2013 से एक जीपीएफ शिकायत प्रकोष्ठ बनाया गया है। 'gpftakrarngp@gmail.com' के नाम से एक अलग ई-मेल एड्रेस भी शुरू किया गया है। जीपीएफ अभिदाताओं से प्राप्त सभी शिकायतों को प्रकोष्ठ द्वारा तत्काल देखा जाता है और मेल द्वारा उत्तर दिया जाता है।

शीघ्र जवाब हेतु सभी अभिदाताओं से उपरोक्त ई-मेल पते पर मेल के माध्यम से अपनी शिकायतें भेजने की मांग की गई है। वार्षिक जीपीएफ पर्चियों में ई-मेल आईडी मुद्रित किया गया है साथ ही इसका स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रचार किया गया है।

(iii) 01.01.2013 से जीपीएफ अभिदाताओं को एसएमएस अलर्ट सेवाएं शुरू की गई है जिसकी जीपीएफ अभिदाताओं द्वारा सराहना भी की गई है।

VI एफ ओडिशा:

प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) ओड़िशा ने निम्नलिखित पहल की है:

(i) पेंशन फाइलों का डिजिटाइजेशन किया गया है जो पेंशनरों का डाटा बेस बनाने और पेंशन संशोधन मामलों के शीघ्रता से निपटान और प्राधिकार को सुविधा प्रदान करेगा।

(ii) आईओटीएमएस (ओड़िशा सरकार का कोषागार डाटाबेस) से जीपीएफ विवरण डाउनलोड करने हेतु राज्य सरकार की सहायता से जीपीएफ के ई-शेड्यूल्स के लिए एक इंटरफेस भी विकसित किया गया है। तदुपरान्त कार्यान्वयन के लिए वर्ष के दौरान इसकी जांच की गई थी।

VI जी उत्तराखण्ड:

वार्षिक जीपीएफ विवरण ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, पीएफ मामलों के निपटान की स्थिति राज्य सरकार के साथ पत्राचार की स्कैन की गई प्रतियों के साथ ऑनलाइन उपलब्ध है। एक मजबूत ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र बनाया गया है जो कुछ दिनों के भीतर शिकायतों का निपटान सुनश्चित करता है।

VI एच पश्चिम बंगाल:

सीएजी कार्यालय में एनआईसी स्थानीय यूनिट द्वारा विकसित एक केंद्रीय ऑनलाइन शिकायत निवारण एप्लीकेशन का एजी, पश्चिम बंगाल की वेबसाइट के माध्यम से इसके निपटान और शिकायतों की ऑनलाइन रिकार्डिंग हेतु प्रावधान के साथ 28/01/2013 से लागू किया गया है।

अध्याय 5

व्यावसायिक मानक और गुणवत्ता प्रबंधन

साई इंडिया के लेखापरीक्षण मानक में परिकल्पना है कि साई के पास एक उपयुक्त गुणवत्ता प्रणाली होनी चाहिए। हम सरकारी लेखापरीक्षकों और लेखाकारों के लिए व्यावसायिक मानकों और पद्धतियों दोनों के महत्व के बारे में सतर्क हैं। यह सभी व्यवसायियों द्वारा असमान परिस्थितियों में अनुकरणीय मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है और उस सीमा तक गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया के लिए बेंचमार्क का कार्य करता है।

I सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (गसब)

भारत सरकार के समर्थन से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने अगस्त 2002 में सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (गसब) की स्थापना की थी। गसब का उद्देश्य सार्वजनिक जवाबदेही और निर्णय लेने में गुणवत्ता को बढाने के लिए सरकारी लेखाकरण और वित्तीय प्रतिवेदनों में सुधार के मद्देनजर लेखाकरण मानकों का निरूपण और सिफारिश करना है। गसब में सरकार(केन्द्रीय और राज्य), व्यावसायिक लेखाकरण संस्थान, भारतीय रिजर्व बैंक और अकादमी के बहुपक्षीय पणधारियों में से उच्च स्तर के प्रतिनिधित्व वाले 16 सदस्य शामिल हैं।

गसब को निम्नलिखित उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं:

- जवाबदेही तंत्रको बढ़ाने के लिए सरकारी लेखाकरण और वित्तीय प्रतिवेदन के मानकों की स्थापना और सुधार करना;
- मानकों का निरूपण करना और प्रस्तावित करना जो उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के आधार पर वित्तीय प्रतिवेदनों की उपयोगिता को सुधारेगें;
- मानकों को अद्यतन रखना और शासकीय वातावरण में बदलाव को दर्शाना;
- मानकों के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराना;
- लेखाकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग के विशेष क्षेत्रों पर विचार करना जिनमें मानक स्थापना प्रक्रिया के माध्यम से सुधार किया जा सकता है; और

- वित्तीय प्रतिवेदनों में निहित सूचना की प्रवृति और उद्देश्य की सामान्य समझदारी में सुधार करना।

रोकड़ आधारित लेखाकरण प्रणाली के आधार पर मानकों को भारतीय सरकार लेखाकरण मानक (आईजीएएस) कहा जाता है और यह सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से संघ, राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के विधानमण्डल द्वारा अनुपालन के लिए अनिवार्य बन गए हैं। प्रोदभूत आधारित लेखाकरण प्रणाली के आधार पर मानकों को भारतीय सरकार वित्तीय प्रतिवेदन मानक (आईजीएफआरएस) कहा जाता है और यह गसब द्वारा अनुमोदित तिथि से पायलट अध्ययन के लिए सिफारिशकर्ता बन गई। पणधारियों के परामर्श से विकसित मानक, संविधान के प्रावधानों के अनुसार विचार करने और अधिसूचना के लिए वित्त मंत्रालय को भेजे जाते हैं।

I क अधिसूचित आईजीएएस

मार्च 2013 तक, निम्नलिखित तीन आईजीएएस अधिसचूचित किए गए है:

- *सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूति* पर आईजीएएस 1: *प्रकटीकरण अपेक्षाएं,* सरकार द्वारा दिसम्बर 2010 में अधिसूचित की गई थी।
- *सहायता अनुदान* पर आईजीएएस 2: लेखाकरण और वर्गीकरण, को सरकार द्वारा मई 2011 में अधिसूचित किया गया था।
- *सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम* आईजीएएस 3, सरकार द्वारा फरवरी 2012 में अधिसूचित किए गए थे।

I ख सरकार के विचाराधीन आईजीएएस

सरकार के विचाराधीन आईजीएएस और आईजीएफआरएस की सूची नीचे दी गई है:

- *विदेशी मुद्रा लेन-देन और विनियम दर भिन्नताओं द्वारा हानि या लाभ पर* आईजीएएस *7*
- *सरकार की अन्य देयताओं सार्वजनिक ऋण पर* आईजीएएस 10: *प्रकटीकरण अपेक्षाएं*

I ग सरकार के विचाराधीन आईजीएफआरएस

चार आईजीएफआरएस जिसको गसब द्वारा बनाया गया है और वित्त मंत्रालय के विचारार्थ भेजा गया है; आरंभ में यह पायलट अध्ययन करने के लिए मार्गदर्शन देने के **सुझावों** के रूप में होगा और सरकार द्वारा उनकी अधिसूचना की तिथि से अनिवार्य होगा। बनाए गए आईजीएफआरएसज़ का विवरण निम्नलिखित है:

- *संपत्ति, संयंत्र और उपकरण* पर आईजीएफआरएस 2
- *मुद्रा लेन-देन से राजस्व* पर आईजीएफआरएस 3
- *इन्वेंटरी* पर आईजीएफआरएस 4
- *आकस्मिक परिसम्पत्तियों और आकस्मिक देयताओं* पर आईजीएफआरएस 5: *प्रकटीकरण अपेक्षाएं*

I घ गसब के विचारार्थ/संशोधन के तहत आईजीएएस और आईजीएफआरएसज़

विकास और विचाराधीन के विभिन्न स्तरों के अंतर्गत आईजीएएसज़ और आईजीएफआरएसज़ में निम्नलिखित शामिल हैं:

- *सरकार के सामान्य उद्देश्य वित्तीय विवरण* पर आईजीएस 4 I
- *पट्टे* पर आईजीएएस 6 I
- *इक्विटी में सरकारी निवेश* पर आईजीएएस 9 I
- *वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण* पर आईजीएफआरएस 1 I
- *लेखाकरण नीतियों, लेखाकरण अनुमानों में बदलाव और त्रुटियों* पर आईजीएफआरएस 6 I
- *रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात की घटनाओं* पर आईजीएफआरएस 7 I
- *सेगमेंट रिपोर्टिंग* पर आईजीएफआरएस 8 I

III. लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली और मार्गदर्शन:

दिशानिर्देशों और नियम-पुस्तिकाओं की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उन्हें अद्यतित किया जाता है। 2012-13 के दौरान हमने भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के सदस्यों से अपेक्षित मानक व्यवहार (संहिता) पर स्पष्ट मार्गदर्शन देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों को देखते हुए एक आचार संहिता (संहिता) अपनाने का निर्णय लिया। संहिता में भारत में सरकारी सेवकों हेतु केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली (सीसीएस आचरण नियमावली) में निहित मूल्यों और सिद्धांतों तथा उपयुक्त रूप से स्वीकार्य इससाई 30 (सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के लिए इंटोसाई मानकों) में निहित वृहद् सिद्धांत निहित हैं।

आचार संहिता

- **सत्यनिष्ठा**
- **स्वतंत्रता, उद्देश्य, निष्पक्षता**
- **व्यावसायिक गोपनीयता**
- **दक्षता इत्यादि**

IV गुणवत्ता आश्वासन

गुणवत्ता आश्वासन लेखापरीक्षा प्रक्रिया का एक आवधिक मूल्यांकन है। इसका उद्देश्य साई को एक उचित आश्वासन प्रदान करना है कि साई का लेखापरीक्षा कार्य व्यावसायिक और लागू विधिक मानकों के अनुरूप है। गुणवत्ता आश्वासन व्यक्ति द्वारा दिया जाता हैं जो प्रक्रिया का भाग नहीं है जिनकी वे समीक्षा कर रहे है। इसे साई अथवा अन्य साई द्वारा आंतरिक रूप से किया जाना चाहिए।

IV क साई इंडिया की बाह्य पीअर रिव्यू

अक्टूबर 2011 से मार्च 2012 की अवधि के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय पीअर रिव्यू दल ने साई के निष्पादन लेखापरीक्षा कार्यों की समीक्षा की। बाह्य पीअर रिव्यू दल ने सितम्बर 2012 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। पीअर रिव्यू का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि व्यावसायिक पद्धतियों के लागू मानकों का अनुपालन करने के लिए साई इंडिया के निष्पादन लेखापरीक्षा कार्यों को किस हद तक लागू करना था और सुधार की संभावनाओं की पहचान करना था।

बाह्य सद्धकर्मी समीक्षा दल में निहित हैं:

- **आस्ट्रेलिया**
- **कनाडा**
- **डेनमार्क**
- **नीदरलैण्ड**
- **संयुक्त राज्य अमेरिका**

पीअर रिव्यू दल की राय में, साई इंडिया का

एक्यूएमएफ की धारणा बहुत मजबूत है और निष्पादन लेखापरीक्षा करते समय व्यावसायिक पद्धति के लागू मानकों के अनुपालन हेतु आधार एक प्रदान करता है।

पीअर रिव्यू दल द्वारा निम्नलिखित अच्छी पद्धतियों की पहचान की गई:

पीअर रिव्यू की अच्छी पद्धतियाँ

1. दीर्घकालिक नीतिगत योजना

पीअर रिव्यू दल ने माना कि साई इंडिया दीर्घ अवधि नीतिगत योजना (2020 के बाद), जो संगठनात्मक लक्ष्यों और लेखापरीक्षा दक्षता को मजबूत करने और प्रभाव डालने पर आधारित है, एक अच्छी पद्धति है।

2. लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

नीतिगत और लेखापरीक्षा योजना के संबध में पीअर रिव्यू दल ने माना कि साई इंडिया लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का उपयोग करता है जिसमें साई इंडिया के बाहर से बहुत ही योग्य व्यक्ति शामिल हैं, जो साई इंडिया के बाहरी सलाह के खुलेपन को दर्शाता है, और यह एक अच्छी पद्धति है।

3. प्रशिक्षण सुविधाओं का नेटवर्क

पीअर रिव्यू दल ने माना कि साई इंडिया का राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और कार्यालय स्तर पर प्रशिक्षण सुविधाओं का नेटवर्क है जिसका यह अपने कर्मचारियों को प्रेरणा और रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्रदान करने में उपयोग करता है, यह एक अच्छी पद्धति है।

4. वैकल्पिक रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण

पीअर रिव्यू दल ने माना कि साई इंडिया का ग्राहकों को निष्पादन लेखापरीक्षा संदेश देने के लिए छोटी रंगीन बुकलेट का उपयोग एक अच्छी पद्धति है।

IV ख आंतरिक पीअर रिव्यू

हम गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के भाग के रूप में लेखापरीक्षा कार्यालयों की पीअर रिव्यू भी करते हैं। ये "पीअर रिव्यू के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन" पर दिशा-निर्देशों द्वारा शासित किए जाते हैं। वर्ष 2012-13 में पीअर रिव्यू के लिए बचे 14 कार्यालयों में से 9 लेखापरीक्षा कार्यालयों की महानिदेशक/प्रधान महालेखाकारों द्वारा पीअर रिव्यू की गई थी। निरीक्षण विंग इन पीअर रिव्यू का समन्वय करता है।

पीअर रिव्यू रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्यवाही संबंधित कार्यात्मक विंग द्वारा की जाती है।

IV ग महानिदेशक, निरीक्षण

निरीक्षण विंग त्रिवर्षीय चक्र में शाखा कार्यालयों सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण करता है तथा आईएएण्डएडी के लेखापरीक्षा कार्यालयों की पीअर रिव्यू भी करता है।

निरीक्षण

पिछले वर्ष लेखापरीक्षा और लेखा व हकदारी दोनों कार्यालयों के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट और जांचसूची/दिशा-निर्देशों फार्मेट संशोधित किए गए थे और अब इन्ही के अनुरूप निरीक्षण किया जा रहा है। लेखापरीक्षा कार्यालयों के लिए, रिपोर्टो में 5 विभिन्न पहलू शामिल हैं यथा: **कार्यालय निष्पादन, लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षा पद्धति, गुणवत्ता नियंत्रण, पणधारक प्रबंधन, प्रबंधन और सहायता संरचना।** लेखा व हकदारी कार्यालयों के संबंध में, रिपोर्टों में **कार्यालय निष्पादन, लेखे, निधियां, पेंशन व जीई विंग, प्रबंधन और सहायता संरचना, प्रशिक्षण, पणधारक प्रबंधन/संप्रेषण** कवर होता है।

वर्ष 2012-13 के दौरान, 21 मुख्य कार्यालयों (ले. व हक.-02, लेखापरीक्षा-11, केन्द्रीय-2, सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-03, रेलवे-02 और डाक व दूरसंचार-01) का उनके 09 शाखा कार्यालयों के साथ 293 पार्टी दिवसों का उपयोग करते हुए निरीक्षण किया गया।

नियोजित निरीक्षणों की संख्या	किए गए निरीक्षणों की संख्या	की गई सिफारिशों की संख्या	अगस्त 2012 तक कार्यान्वित सिफारिशों की संख्या	अनुपालन की प्रतिशतता
33*	21**	1211	475	39

* 33 मुख्य कार्यालय और 16 शाखा कार्यालय

** 21 मुख्य कार्यालय और 06 शाखा कार्यालय

अध्याय 6

हम अपने संसाधनों का प्रबंधन कैसे करते हैं

इससाई 10 निर्धारित करता है कि साई के पास प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए उपयुक्त मानव, सामग्री और मौद्रिक संसाधन होने चाहिए। उन्हें अपने बजट का प्रभावी रूप से प्रबंधन और उसे उचित रूप से आवंटित करना चाहिए।

I हमारा वित्तीय प्रबंधन

हमने 2012-2013 में ₹ 2649.07 करोड़ खर्च किया। घटकवार व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

I.क व्यय के घटक

हमने अपने संसाधनों का 87.65 *प्रतिशत* 'वेतन' और पारिश्रमिक तथा 4.27 *प्रतिशत* 'यात्रा' पर व्यय किया। इस प्रकार कुल व्यय 91.92 *प्रतिशत* सीधे हमारे मानव संसाधन पर खर्च हुआ।

(₹ करोड़ में)

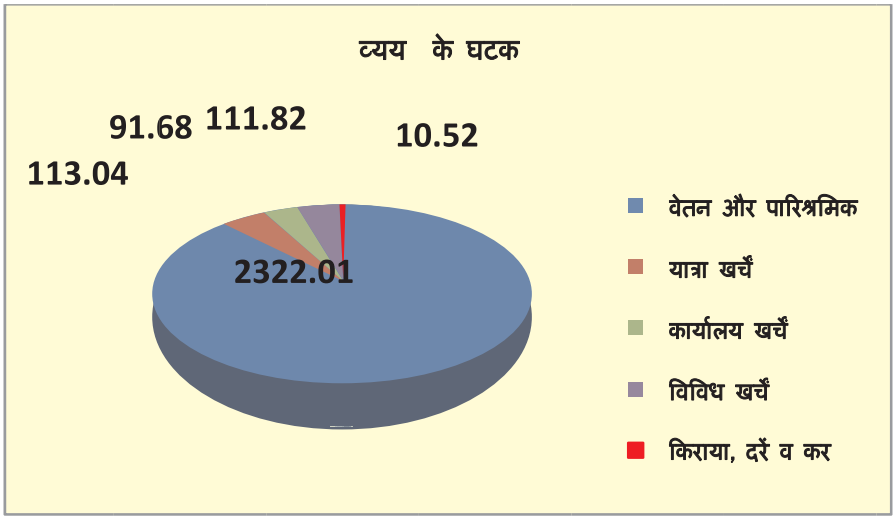

I.ख कार्यात्मक आधार पर व्यय प्रतिमान

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय तथा यूएन लेखापरीक्षा यूनिट को छोड़कर भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग पर किये गये समग्र व्यय वोटेड है। सिविल लेखा कार्यालयों के बाद सिविल लेखापरीक्षा कार्यालयों ने सबसे अधिक व्यय किया। हमने कुल 60 *प्रतिशत* लेखापरीक्षा पर खर्च किया (मुख्यालय छोड़कर)। सिविल लेखा कार्यालयों पर किया गया कुल व्यय लगभग 36 *प्रतिशत* था।

कार्यालयों की श्रेणियां	वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	व्यय की *प्रतिशतता*
मुख्यालय कार्यालय	82.42	3.11
विदेश स्थिति लेखापरीक्षा कार्यालय	20.81	0.79
सिविल लेखापरीक्षा कार्यालय	1,194.60	45.10
डाक एवं दूरसंचार लेखापरीक्षा कार्यालय	79.32	2.99
रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय	145.95	5.51
रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय	53.89	2.03
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय	107.26	4.05
एनएएए शिमला	8.25	0.31
विभागीय कैंटीन	10.83	0.41
सिविल लेखा कार्यालय	943.69	35.62
यूएन लेखापरीक्षा	2.05	0.08
कुल	**2649.07**	**100**

I.ग लेखापरीक्षा के लिए संसाधनों का आवंटन

2012-13 के दौरान संघ और राज्य सरकारों के ₹ 48,47,514.98 करोड़ के संयुक्त बजटीय राजस्व और व्यय के प्रति लेखापरीक्षा करने के लिए कुल बजट ₹ 1,590.27 करोड़ था। प्रतिशतता के रूप

लेखापरीक्षा कार्यों पर लेखापरीक्षा के लिए बजटीय आवंटन

बजट किए गए प्रत्येक एक लाख रूपये के लेनदेन (राजस्व और व्यय) में से लेखापरीक्षा के लिए केवल ₹ 33 ही आबंटित किए गए थे।

में स्पष्ट करते हुए 2012-13 के लिए लेखापरीक्षा पर व्यय संघ और राज्य सरकारों के राजस्व और व्यय का कुल भाग 0.033 *प्रतिशत* था। व्यय के उपरोक्त आंकडों में केन्द्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेन देन, स्वायत्त निकायों, पर्याप्त मात्रा में सरकारी अनुदानों द्वारा वित्तपोषित निकायों, ऋणों और संघ और राज्य सरकारों के सार्वजनिक ऋण के लेन देन, जिनकी लेखापरीक्षा भी सीएजी द्वारा की जाती है को शामिल नही किया गया है।

II हम अपने मानव संसाधनों का प्रबंध कैसे करते हैं

ज्ञान आधारित संगठन होने के कारण, हमारे लोग हमारी प्रमुख परिसम्पत्ति हैं। इससाई 40 निर्धारित करता है कि साई को यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएं बनानी चाहिए कि उसके पास अपना कार्य प्रभावशाली रूप से करने के लिए पर्याप्त संख्या में सक्षम और प्रेरित कर्मचारी हैं। 2012-13 के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विकासों में निम्नलिखित शामिल थे:

- 2012-13 के दौरान स्टाफ विंग का मुख्य फोकस क्षेत्रीय कार्यालयों में इष्टतम स्टाफिंग था। डिविज़नल लेखाकारों, लेखापरीक्षकों, लेखाकारों एवं डाटा एंट्री आपरेटरों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग को की गई समस्त मांग 2012-13 के दौरान पूरी कर ली गई। इसके परिणामस्वरूप समूह 'ग' सवंर्ग में कमी का काफी हद तक समाधान हुआ।

- विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर सलाहकारों की नियुक्ति की अनुमति दी गई थी ताकि क्षेत्रीय कार्यालयों में स्टाफ की कमी, यदि कोई हो, के कारण कार्य प्रभावित न हो।

III हमारे लोग

हमारी श्रमशक्ति मोटे तौर पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत है:

श्रेणी	संख्या
आईए एण्ड एएस	693
पर्यवेक्षीय संवर्ग	15,356
लेखा तथा लेखापरीक्षा स्टाफ	25,386
बहुविधि कार्य स्टाफ	5,501
कुल	**46,936**

आईएएंडएडी में करीब 34.19 प्रतिशत लोग विभिन्न प्रबन्धन और पर्यवेक्षीय स्तर पर हैं और जो लेखा एंव लेखापरीक्षा स्टाफ का 54.09 *प्रतिशत* बनता है। कुल संख्या का केवल 11.72 प्रतिशत (एमटीएस) है जो विशुद्ध रूप से कार्य में सहायता करता है। 69,113 की संस्वीकृत संख्या के प्रति वर्तमान में केवल 67.73 *प्रतिशत* स्टाफ ही विभाग में कार्य कर रहा है। हमने वर्ष के दौरान लेखा एवं लेखापरीक्षा स्टाफ की श्रेणी (कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों सहित) में 3570 लोगों की भर्ती की। इससे काफी हद तक कमी दूर करने में सहायता मिली।

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा (आईएएंडएएस) अधिकारियों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। आईएएडी के उच्चतम, वरिष्ठ और मध्य प्रबन्धन स्तर इस सेवा के अधिकारियों द्वारा संचालित होते हैं। यह सेवा भारत सरकार की समूह 'ए' सेवा कहलाती है।

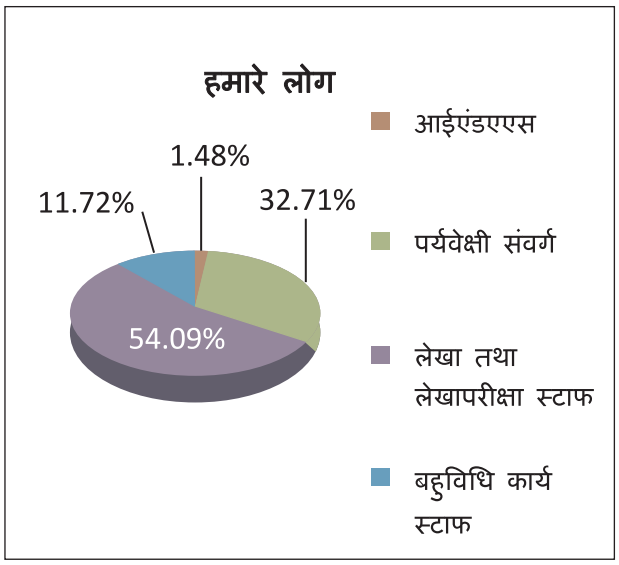

पर्यवेक्षी संवर्ग – राजपत्रित पर्यवेक्षी संवर्ग (समूह ख राजपत्रित) में वरिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी, लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी और सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी होते हैं। वे हमारे पदानुक्रम में महत्वपूर्ण परिचालनात्मक प्रबन्धन का हिस्सा है। सामान्य रूप से अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा परीक्षा के रूप में जानी जाने वाली अखिल भारतीय विभागीय परीक्षा उर्तीण करने के बाद ही सहायक लेखा परीक्षा/लेखा अधिकारियों के संवर्ग में पदोन्नति की जाती है।

लेखा तथा लेखापरीक्षा स्टाफ – यह संवर्ग डाटा एन्ट्री आपरेटर (डीईओ), लिपिकों लेखापरीक्षकों/लेखाकारों और वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/वरिष्ठ लेखाकारों से बनता है और हमारी कुल श्रमशक्ति का 54.09 *प्रतिशत* है। इनकी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाती है या लिपिकों के सहायक संवर्ग से पदोन्नति होती है।

बहुविधि कार्य स्टाफ – विभिन्न आईएएडी कार्यालयों में सभी सहायता कार्य, मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) द्वारा किया जाता है।

हमारे मुख्य विंगों में अधिकारियों की विभिन्न श्रेणियों का पदनाम चार्ट अनुलग्नक III में दिया गया है।

IV अर्हता

वर्ग 'ख' और 'ग' संवर्गों में हमारे अधिकारी और कर्मचारी काफी योग्य हैं। हमारे पास इन संवर्गों में 109 डाक्ट्रेट, 1010 व्यावसायिक रूप से अर्हता प्राप्त अधिकारी, 4933 स्नातकोतर और 27,987 स्नातक हैं।

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा में बारह डॉक्ट्रेक, 236 व्यवसायिक रूप से अर्हता प्राप्त[5] अधिकारी, 302 स्नातकोत्तर और 143 स्नातक हैं।

V भर्तियाँ

हमने 2012-13 में 4,474 कार्मिक भर्ती किए। लेखा और लेखापरीक्षा स्टाफ श्रेणी में बडी संख्या में भर्तियाँ (3570) की गई।

श्रेणी	**भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या**
आईएएंडएएस	22
पर्यवेक्षी संवर्ग	0
लेखा और लेखापरीक्षा स्टाफ (कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों सहित)	3570
एमटीएस	882
कुल	**4474**

VI सकारात्मक कार्यवाही

सकारात्मक कार्यवाही हमारे कर्मिकों में हमारे पास 'अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति' और 'अन्य पिछडे वर्ग' के 33.2 *प्रतिशत* कर्मिक हैं। हमारे 1.53 *प्रतिशत* कार्मिक 'भिन्न योग्यता वाले' लोग हैं और 1.5 *प्रतिशत* 'भूतपूर्व सैन्य कर्मी' हैं।

[5] इंजीनियर, डाक्टर, एमबीए, सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएफई, सीआईए, सीआईएसए आदि।

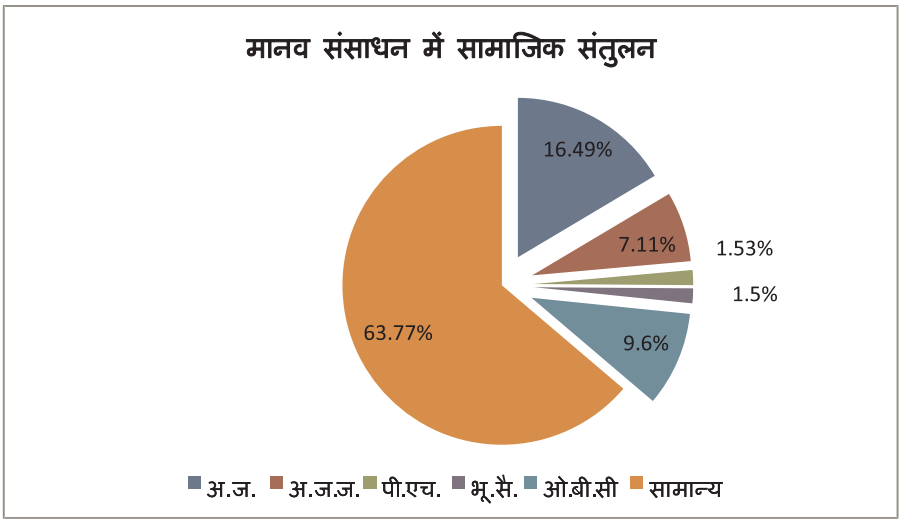

VII लिंग संतुलन

तुलनात्मक दृष्टि से, महिला कर्मचारियों की *प्रतिशतता* मल्टी टासकिंग स्टाफ में सबसे अधिक 33.38 *प्रतिशत* और पर्यवेक्षीय संवर्ग/लेखापरीक्षा/लेखा स्टाफ में न्यूनतम 16.54 *प्रतिशत* है।

यद्यपि हमारे संवर्गों में अधिक महिलाएं नही हैं, तथापि, हमारे पास आईएएण्डएएस में अर्थात निर्णय लेने के स्तर पर महिलाओं की *प्रतिशतता* अधिक है।

श्रेणी	महिलाएं	पुरूष	% (*प्रतिशतता*)
भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा	166	527	23.95
पर्यवेक्षी संवर्ग लेखापरीक्षा/लेखा स्टाफ	6737	34005	16.54
मल्टी टास्किंग स्टाफ	1836	3665	33.38
कुल	**8739**	**38197**	**18.62**

VIII स्टाफ एसोसिएशन

हमारे पास लेखा तथा लेखापरीक्षा स्टाफ और पर्यवेक्षण सवंर्ग के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली 232 स्टाफ एसोसिएशन और पाँच आल इंडिया फेडरेशन हैं। 2012-13 के दौरान भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग मुख्यालय के शीर्ष स्तर पर फेडरेशनों और उच्च प्रशासनिक स्तर के बीच तेरह बैठकें हुई। राज्य

स्तरीय बैठकें संबंधित क्षेत्रीय स्तर सेवा संघ के साथ प्रधान महालेखाकारों/महालेखाकारों द्वारा आयोजित की गई थी।

IX व्यासायिक क्षमता विकास

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ससंद और राज्य विधानमंडलो को प्रतिवर्ष 100 से अधिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। हमारे पास साई इंडिया में सेवारत विभिन्न पदों मे करीब 47,000 कार्मिक है। व्यापक रूप से कर्मचारियों के लेखापरीक्षा कौशल को बढ़ाने और क्षेत्र के ज्ञान के अद्यतन के लिए, विभाग की प्रशिक्षण संरचना में मुख्यत: भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए शिमला में, राष्ट्रीय लेखा तथा लेखापरीक्षा अकादमी है, अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली और लेखापरीक्षा केन्द्र नोएडा मुख्यत: दुनिया भर में साई के प्रतिभागियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। हमारे पास पर्यवेक्षक संवर्गों और लेखा और लेखापरीक्षा स्टाफ की क्षमता बढ़ाने के लिए नौ क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान और तीन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र हैं। पर्यावरण लेखापरीक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट पाठ्यक्रम के संचालन के लिए मई 2013 में जयपुर में स्थापित पर्यावरण लेखापरीक्षा और स्थायी विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र का उद्घाटन किया गया था।

X नए भर्ती किए गए अधिकारियों का प्रशिक्षण

सीधे भर्ती भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा और सीधे भर्ती सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (डीआरएएओ) सेवा में स्थायीकरण से पहले व्यापक और व्यावसायिक प्रशिक्षण लेते हैं। भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा अधिकारी 104 सप्ताह का प्रशिक्षण लेते हैं। इस प्रशिक्षण में 15 सप्ताह का आधार पाठयक्रम, 70 सप्ताह का व्यवसायिक प्रशिक्षण, दो चरणों में तीन सप्ताह का अध्ययन दौरा और 16 सप्ताह का ऑन द जॉब प्रशिक्षण शामिल है। सेवा में स्थायीकरण से पहले अधिकारियों से विभागीय परीक्षा (भाग । और भाग ।।) उत्तीर्ण करना अपेक्षित है।

अधिकारी प्रोन्नति पर या पार्श्विक भर्ती के माध्यम से भी भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा ज्वॉइन कर सकते हैं। वे तीन सप्ताह की अवधि का राष्ट्रीय लेखा तथा लेखापरीक्षा अकादमी (एनएए) शिमला, में आधार प्रशिक्षण लेते हैं।

डीआरएएओ परिवीक्षार्थी जब नियुक्त होते है क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में सात माह का प्रशिक्षण लेते हैं। इसमें तीन माह का आधार प्रशिक्षण, उनके संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में एक माह का जॉब प्रशिक्षण और तीन माह का प्रारंभिक प्रशिक्षण शामिल है। एएओ के रूप में स्थायीकरण से पहले उनसे अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित है।

XI सेवा में प्रशिक्षण

हमारे संगठन के अधिकारी और स्टाफ व्यापक रूप से लेखा, लेखापरीक्षा, प्रशासन, प्रबंधन और आईटी में प्रशिक्षित हैं। नई पद्धतियाँ कार्यान्वित करने और वर्तमान प्रथाओं के साथ अपने मानव संसाधनों को अद्यतन करने के लिए पाठयक्रम आयोजित किए जाते हैं। विभाग के 12 प्रशिक्षण संस्थाओं में संचालित प्रशिक्षण के अलावा प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अपने कर्मिकों की विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए आन्तरिक प्रशिक्षण का संचालन अपेक्षित है।

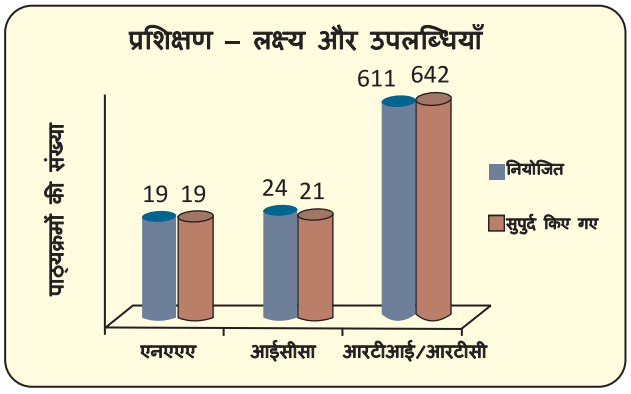

जबकि एनएएए, शिमला ने 19 पाठ्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य प्राप्त किया, आरटीआईज़ ने लक्ष्य से अधिक पाठ्यक्रम आयोजित किए। एनएएए, शिमला ने वर्ष के दौरान 450 आईएएडंएएस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया और आरटीआईज़ ने 12,066 लोगों को प्रशिक्षण दिया; आईसीसा, नोएडा न 587 लोगों को प्रशिक्षण दिया। क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी क्षमता बढाने की कार्यालय विशिष्ट अपेक्षित आवश्यकतों को पूरा करने के लिए लधु अवधि के आन्तरिक प्रशिक्षण कार्याक्रम भी आयोजित किए।

XII श्रेष्ठता के केन्द्र

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के सभी आरटीआई/आरटीसी उनको आवंटित विषयों के लिए श्रेष्ठता के केन्द्र के रूप में निर्दिष्ट किए गए हैं। श्रेष्ठता के केन्द्र

के रूप में आरटीआई ढांचागत प्रशिक्षण माड्यूल, विषय अध्ययन और अन्य पठन सामग्री के विशिष्टकरण के निदिष्ट क्षेत्र पर अधिक जोर देकर विकास करते हैं। वह विशिष्टिकरण के निर्धारित क्षेत्र पर कार्यशालाएं और संगोष्ठियों का भी आयोजन करते हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान विभिन्न संस्थानों के लिए श्रेष्ठता के परिभाषित क्षेत्र इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	आरटीआई/आरटीसी	श्रेष्ठता का क्षेत्र
1	आरटीआई, जम्मू	रक्षा लेखापरीक्षा
2	आरटीआई, जयपुर	निष्पादन लेखापरीक्षा और सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा
3	आरटीआई, कोलकाता	स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा रेलवे लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा
4	आरटीआई, मुम्बई	निगम प्रशासन, वित्त और नगर निगमों की लेखापरीक्षा और वित्तीय रिपोर्टिंग (इपसास)
5	आरटीआई, नागपुर	धोखाधडी और न्यायिक लेखापरीक्षा, राजस्व लेखापरीक्षा
6	आरटीआई, चेन्नई	अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी और वित्तीय (प्रमाणन) लेखापरीक्षा
7	आरटीआई, रांची	लेखापरीक्षा गुणवत्ता प्रबंधन ढांचा
8	आरटीआई, इलाहाबाद	गसब और बजट (जीएफएस 2001)
9	आरटीआई, शिलांग	लागू वित्तीय प्रमाणन लेखापरीक्षा नियमपुस्तिका के अनुसार स्वायत्त जिला परिषदों में प्रमाणन लेखापरीक्षा
10	आरटीसी, बैंगलोर	सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा
11	आरटीसी, हैदराबाद	स्थानीय निकाय और सामाजिक लेखापरीक्षा
12	आरटीसी, नई दिल्ली	सूचना प्रौद्योगिकी

XIII अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत विकास केन्द्र

"अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत विकास केन्द्र (आईसीईडी)" नामक प्रशिक्षण सुविधा इंटोसाई के लिए विश्व प्रशिक्षण सुविधा के रूप में जयपुर में स्थापित की गई है। इस केन्द्र के उद्देश्य हैं:

(i) प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता बढाना।

(ii) ज्ञान का प्रसार और सहभाजन।

(iii) पर्यावरण नीति अनुसंधान का केन्द्र होना।

(iv) पर्यावरणीय अध्ययन पर व्यवसायिक प्रमाणीकरण देना।

आईसीईडी, जयपुर की एक ग्रीन भवन के रूप में भी कल्पना की गई थी और इसके डिज़ाइन और निर्माण में कई विशेषताएं शामिल की गई हैं जिससे भवन के कार्बन फुटप्रिन्ट को कम किया जा सके। इसका उद्घाटन मई 2013 में किया गया था।

XIV प्रकाशन

ज्ञान को साझा करने के प्रयास के एक भाग के रूप में हमारे संगठन के कार्यात्मक विंगों और कार्यालयों द्वारा त्रैमासिक समाचार पत्र और जर्नल प्रकाशित किए जाते हैं। आईसीईडी का एक त्रैमासिक समाचार पत्र 'ग्रीन फाइल्स' पर्यावरण के क्षेत्र में विकास को दर्शाता है; प्रत्यक्ष कर विंग "रूपी ट्रेल" नाम से एक त्रैमासिक जर्नल प्रकाशित करता है जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा के क्षेत्र में विकास को दर्शाया जाता है।

XV हम सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कैसे करते हैं

सूचना प्रणाली (आईएस) विंग विभिन्न कार्यात्मक विंगों द्वारा निर्धारित गतिविधियों के कम्प्यूट्रीकरण के लिए सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करता है। यह सीएजी की वेबसाईट, सीएजीएसपीएस (इंट्रानेट) और अन्य संबंधित वेबसाईटों के अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। अन्य पहलों में मैनुअलों का डिजीटाइज़ेशन/प्रकाशन/नियम पुस्तिकाएं, पाँच सेवाओं सहित वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क(वीपीएन) अर्थात् 184 कार्यालयों में वीडियों कांफ्रेसिंग, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकाल (वीओआईपी), फैक्स

इंटरनेट और ई-मेल, भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के पीएओज़ में ई-भुगतान का कार्यान्वयन शामिल है।

इस अवधि के दौरान सभी आईएएएस अधिकारियों को इंटरनेट और ई-मेल की सेवाएं 24*7 अबाधित रूप से प्रदान की गई हैं। मार्च 2013 तक लगभग 14,500 ग्रुप 'बी' अधिकारियों को इ-मेल आईडीज़ प्रदान की गई थी।

वीएलसी प्रणाली का तकनीकी उन्नयन: 40 साइटों (27 राज्यों) में लाईनैक्स आपरेटिंग प्रणाली पर 3 स्तरीय संरचना में सभी 27 राज्य आरेकल 8 आई से आरेकल 11 जी में सफलतापूर्वक स्थानांतरित हो गए हैं। हम अपने सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में भी सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से प्रयोग करते है।

लेखा कार्यालय में: सभी लेखा कार्यालयों में ओरेकल प्लेटफार्म पर वाउचर लेवल कम्प्यूटराइज़ेशन कार्यान्वित किया गया। इससे लेखाओं पर एमआईएस मज़बूत हुआ है। अन्य हकदारी कार्य जैसे जीपीएफ खातों का रखरखाव, (आईवीआरएस सहित), पेंशन को अन्तिम रूप देना और राजपत्रित हकदारी का भी कम्प्यूटरीकरण किया गया है।

प्रशासनिक कार्य: हमारे कार्यालयों में कई प्रशासनिक कार्य कम्प्यूट्रीकृत हैं जैसे वेतन नामावली, व्यय की मासिक समीक्षा, पुस्तकालय, डाक आदि। सीएजी कार्यालय में एकीकृत डाक प्रबंधन प्रणाली को एनआईसी के सहयोग से सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।

लेखापरीक्षा कार्यालय: हमारे लेखापरीक्षा कार्यालय लेखापरीक्षा योजना, लेखापरीक्षा कार्यक्रम, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और आपत्तियों का पता लगाने, लेखापरीक्षिती डाटाबेस के रख-रखाव आदि के लिए आईटी का प्रयोग करते हैं।

XVI राजभाषा को बढावा देने के लिए हमारे प्रयास

XVI क प्रकाशन

हमने मुख्यालय से वर्ष के दौरान राजभाषा की त्रैमासिक पत्रिका "लेखापरीक्षा प्रकाश" के चार अंक प्रकाशित किये। क्षेत्रीय कार्यालय भी राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिये हिन्दी की पत्रिकाएं नियमित रूप से प्रकाशित करते हैं।

XVI ख हिन्दी कार्यक्रम

(क) हमने भारत सरकार, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग को आदेशों के अनुसार मुख्यालय में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा के लिये उप नियंत्रक महालेखापरीक्षक की अध्यक्षता में चार तिमाही बैठकें आयोजित की।

(ख) मुख्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में 03.09.2012 से 14.09.2012 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। कार्यालय के दैनिक कामकाज में हिंदी के प्रयोग के प्रचार के लिये कई प्रतियोगितायें आयोजित की गई। हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच हिंदी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और सर्वश्रेष्ठ हिन्दी पत्रिका के लिये सीएजी द्वारा 28.09.2012 को राजभाषा शील्ड्स प्रदान की गईं।

(ग) वर्ष 2011-12 के दौरान मंत्रालय/विभागों के लिए इंदिरा गाँधी पुरस्कार की श्रेणी में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय ने 14 सितम्बर 2012 को भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी से द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया।

(घ) हमने भारत सरकार, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के द्वारा निर्धारित हमारे 25 *प्रतिशत* क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण का लक्ष्य प्राप्त किया।

(ङ) संसदीय राजभाषा समिति ने राजभाषा के लिए 15.02.2013 को कोच्ची स्थित प्रधान महालेखाकार (ले व ह) के शाखा कार्यालय का निरीक्षण किया।

XVI ग अनुवाद

जैसा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत अपेक्षित है प्रसार से पहले निम्नलिखित दस्तावेज़ हिन्दी में अनुवादित किए गए:

(क) सभी प्रस्ताव, सामान्य आदेश, नियमावली, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन और प्रेस विज्ञप्तियाँ;

(ख) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और अन्य प्रतिवेदन और सदन या संसद के सदनों के समक्ष रखे जाने वाले सरकारी कागजात;

XVII अवसंरचना विकास

समस्त भारत में विभिन्न स्टेशनो पर भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के उपयोग के लिये आवासीय इकाईयों के साथ कार्यालय स्थल के संवर्धन हेतु कई भवन परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं जैसा कि नीचे विस्तृत रूप से बताया गया है:-

निम्नलिखित परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और उद्घाटन हो चुका है;

(i) अंतराष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत विकास केन्द्र (आईसीईडी), जयपुर।

(ii) महालेखाकार कार्यालय मिजोरम, आईजोल

निर्माणधीन परियोजनाएं नीचे सूचीबद्ध है:

(i) ईटानगर – महोलखाकार कार्यालय

(ii) लखनऊ – महालेखाकार कार्यालय

(iii) देहरादून – महालेखाकार कार्यालय

(iv) शिलांग – आरटीआई एकेडेमिक ब्लॉक और ट्रांज़िट आवास

(v) पोर्ट ब्लेयर – 20 आवासीय क्वार्टर

(vi) पटना – 178 आवासीय क्वार्टर एवं बहुउद्देशीय हॉल

(vii) आईसीसा, नोएडा – नवीकरण एवं उन्नयन

(viii) शिमला – खेल सुविधाएं

(ix) अहमदाबाद – 8 आवासीय क्वार्टर, गेस्ट हाऊस एवं ट्रांसिट आवास

(x) बैंगलोर – महालेखाकार (ले व ह) के लिए एनेक्सी भवन

(xi) कोहिमा – 104 आवासीय क्वार्टर

(xii) अगरतला – 8 आवासीय क्वार्टर

(xiii) पुरी – शाखा कार्यालय

(xiv) देहरादून – 219 आवास, गेस्ट हाऊस एवं बहुउद्देश्य हॉल

(xv) शिलांग – आरटीआई होस्टल

निम्नलिखित परियोजनाओं को भी शुरू करने की योजना है:

(i) बैंगलोर – जेसी रोड पर नया कार्यालय

(ii) पोर्ट ब्लेयर – गेस्ट हाऊस

अध्याय 7

संगोष्ठियां एवं कार्यक्रम

साई इंडिया का मिशन उच्च गुणवत्ता लेखापरीक्षा और लेखांकन के माध्यम से जवाबदेहिता, पारदर्शिता और सुशासन और पणधारियों अर्थात विधानमंडल, कार्यकारिणी और जनता को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करना है, कि सार्वजनिक निधियों का दक्षता से और अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है। इससे उस वातावरण का ज्ञान जरूरी हो जाता है, जिसमें लेखापरीक्षित सत्व काम कर रहा है। लेखापरीक्षक को लेखापरीक्षित सत्वों के साथ निरन्तर संपर्क रखना होता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम संगोष्ठियाँ, सम्मेलन और कार्यशालाएं आयोजित करते है जिससे ज्ञान साझा करना सुविधाजनक हो। वर्ष 2012-13 के दौरान आयोजित संगोष्ठियों और कार्यक्रमों की चर्चा नीचे की गई है:

XXVI 8 से 10 अक्टूबर 2012 को आयोजित महालेखाकार सम्मेलन

महालेखाकार सम्मेलन, एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है जो शासन से संबंधित मुख्य नीतिगत मामलों और सार्वजनिक जवाबदेही और जो योगदान हम कर सकते है पर भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए एक फोरम है। यह हमें हमारे अनुभवों को साझा करने और हमारी व्यवसायिक कुशलता को और प्रखर करने के लिए लेखापरीक्षा पद्धतियों के सम्पूर्ण विस्तार की चर्चा और सुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लक्ष्य पर हमे पुन: समर्पित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी प्रदान करता है।

अक्टूबर 2012 में छब्बीसवाँ महालेखाकार सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा किया गया था। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने सीएजी संगठन को हमारे देश के शासन और जवाबदेही संरचना के महत्वपूर्ण भाग के रूप में मान्यता दी।

उन्होंने यह भी कहा कि इसकी मौजूदगी मजबूती प्रदान करती है तथा सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा सार्वजनिक व्यय की संसद की ओर जवाबदेही की अनिवार्यता को दर्शाती है जो लोगो की इष्टतम अभिलाषा का प्रतिनिधित्व करती है।

सम्मेलन का मुख्य विषय **'व्यवसायिक पद्धतियों को मजबूत करना'** था। निम्नलिखित पाँच उप-विषयों पर संबंधित तकनीकी चर्चा ग्रुपों द्वारा चर्चा की गई:

i) वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा पद्धतियों तथा रिपोर्टिंग को मजबूत करना
ii) अनुपालन लेखापरीक्षा – लेखापरीक्षा दृष्टिकोण तथा रिपोर्टिंग
iii) निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु नई चुनौतियां
iv) सार्वजनिक वित्तीय रिपोर्टिंग को मजबूत बनाना
v) पुनः संरचना तथा आगे का मार्ग

उपर्युक्त पाँच उप-विषयों पर चर्चा के अलावा, XXVI महालेखाकार सम्मेलन 2012 में 'लेखा एवं हकदारी कार्यालयों हेतु आगे का मार्ग' शीर्षक का एक पेपर भी प्रस्तुत किया गया था।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी, संसद सदस्य तथा अध्यक्ष, लोक लेखा समिति ने महालेखाकारों के सम्मेलन में अपने सम्बोधन में 1952 के एक पूर्व दृष्टान्त का संदर्भ लिया। जब संसद के एक सदस्य द्वारा सीएजी की कुछ रिपोर्टों की आलोचना

के संदर्भ में प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि "वह (सीएजी) सरकार के लिए उत्तरदायी नहीं है और उसे रिपोर्ट में सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता है। उसकी सदन के पटल पर आलोचना उसके विशेष दर्जे जो उसे भय अथवा पक्षपात के बिना अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रदान किए गए है, को कमजोर करने के लिए होगी।"

उन्होंने कहा कि संस्था सीएजी की शक्तियों को सीमित करने तथा ज्ञान को अद्यतित करने की दोहरी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने व्यापक रिपोर्टों के लिए विभाग की प्रशंसा की तथा कहा कि महान परम्परा को बनाए रखना चाहिए।

शहरी स्थानीय निकायों के लिए निष्पादन रिपोर्टिंग पर सेमिनार

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय में 5 सितम्बर 2012 को शहरी स्थानीय निकायों हेतु निष्पादन रिपोर्टिंग पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। श्री कमलनाथ, शहरी विकास मंत्री ने सेमिनार का उद्घाटन किया। उन्होंने सीएजी तथा लेखापरीक्षित संस्थाओं के बीच सम्पर्क की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि दोनों एक-दूसरे के दृष्टिकोण की सराहना कर सके। चर्चा के दो मुख्य विषय (क) वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा तथा (ख) सेवा स्तर के बेंचमार्क थे।

चयनित यूएलबीज से महापौर तथा नगर पालिका आयुक्त, इन चयनित यूएलबीज पर लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार वाले महालेखाकार, राज्य सरकारों के सचिव, शहरी विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय तथा सिविल सोसायटी ग्रुप ने भाग लिया। श्रीविनोद राय, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने बिगड़ते शहरी वातावरण पर चिंता व्यक्त की तथा यह भी कहा कि सरकार इस संबंध में धन की कमी की चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी प्रयास कर रही थी।

एमजीएनआरईजीएस की लेखापरीक्षा पर अनुभव सहभाजन कार्यशाला

श्री जयराम रमेश, ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार के अनुरोध पर, 7 जनवरी 2013 को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय, नई दिल्ली में एमजीएनआरईजीएस की अखिल भारतीय निष्पादन लेखापरीक्षा पर अनुभव सहभाजन कार्यशाला का अयोजन किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, राज्यों में एमजीएनआरईजी योजना को लागू करने के संबंधित सचिवों/आयुक्तों तथा विभिन्न राज्यों के महालेखाकारों ने कार्यशाला में भाग लिया।

एमएनआरईजीएस लेखापरीक्षा के बारे में अनुभव सहभाजन के अलावा, संभावित सुधारात्मक कार्यवाही तथा सीए फर्मों द्वारा एमएनआरईजीएस के लेखों के

प्रमाणीकरण से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई। श्री विनोद राय, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने व्यवस्था में उत्तरदायित्व लाने के उद्देश्य से सीएजी के कार्यालय के साथ स्वप्रेरणा से बातचीत प्रारम्भ करने के लिए मंत्रालय की पहल की प्रशंसा की।

"सार्वजनिक अधिप्राप्ति लेन-देन तथा प्रतिस्पर्धा कानून की लेखापरीक्षा" पर कार्यशाला

7 दिसम्बर 2012 को "सार्वजनिक अधिप्राप्ति लेन-देन तथा प्रतिस्पर्धा कानून की लेखापरीक्षा" पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सहयोग से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय, नई दिल्ली में एक आधे दिन की कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह पणधारियों के साथ अनुबन्ध की हमारी पहल का भाग थे तथा वातावरण जिसमें लेखापरीक्षित इकाइयां प्रचालित है, को समझने और सराहना करने की कोशिश कर रहे थे। सेमिनार में दिल्ली के विभाग में नियुक्त सभी आईए एंड एएस अधिकारियों ने भाग लिया। श्री आर. प्रसाद, सीसीआई सदस्य ने अपने उद्घाटन भाषण में प्रतिस्पर्धा कानून के आधारभूत फर्क मुख्य रूप से बोली दर के संरक्षण तथा परिचयन जो प्रतिकूल रूप से राजकोष को प्रभावित करती है, की जानकारी के साथ लेखापरीक्षा अधिकारियों के प्रखर कौशल की महत्ता को बताया। श्री ए.के. अवस्थी, उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने अपने मुख्य भाषण में आर्थिक विकास तथा उपभोक्ता समृद्धि को प्रबल करने में प्रतिस्पर्धा के अधिकार पर बल दिया। उन्होंने प्रतिपालन तथा आवंटित सेवा या सरकारी वित्त पर विरोधी प्रतिस्पर्धी पद्धतियों के प्रभाव को दर्शाने में लेखापरीक्षक की भूमिका सहित प्रतिस्पर्धा आयोग की विभिन्न भूमिका की प्रशंसा की।

कार्यशाला में तीन तकनीकी सत्र थे जैसाकि नीचे वर्णित है:

(1) श्री आर.एन. सहाय, सलाहकार, सीसीआई द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून की सामान्य समीक्षा

(2) श्री पी.के. सिंह, सलाहकार, सीसीआई द्वारा सार्वजनिक अधिप्राप्ति में बोली बढ़ाने की जांच करना

(3) सार्वजनिक अधिप्राप्ति में बोली बढ़ाना: श्री पी. शेष कुमार, महानिदेशक (वाणिज्यिक-II) द्वारा सीएजी अनुभव

अध्याय 8

प्रमुख पणधारकों के साथ हमारा संपर्क

सीएजी के प्राथमिक ग्राहक संसद, राज्य विधानमंडल एवं जनता हैं। संसद एवं प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए एक लोक लेखा समिति (पीएसी) एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) है जो साई इण्डिया द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जॉच करती है। सीएजी के अन्य प्रमुख पणधारकों में सरकारी विभाग एवं मंत्रालय तथा साई इण्डिया द्वारा संचालित लेखापरीक्षा की विषय वस्तु में विशेष हित वाले संगठन एवं व्यक्ति सम्मिलित हैं।

अपने पणधारकों के साथ वार्तालाप एक निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया है। अपने ग्राहकों एवं पणधारकों के साथ हमारा संपर्क हमें उन अपेक्षाओं को समझने में सहायता करता है जो पणधारकों को साई इण्डिया से हैं एवं हमारे द्वारा किए जा रहे आश्वासन और जवाबदेही के कार्य को अर्थ प्रदान करती हैं। हमारी एक प्रलेखित सूचना नीति है जो बाहरी पणधारकों के साथ हमारे संपर्क का मार्गदर्शन करती है।

I सीएजी का लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

सीएजी के संवैधानिक एवं वैधानिक अधिदेश के ढांचे में लेखापरीक्षा के निष्पादन एवं फोकस में सुधार के लिए सुझाव देने एवं लेखापरीक्षा से संबंधित मामलों में उसे सलाह देने के लिए सीएजी की अध्यक्षता में एक लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। यह भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में नेतृत्व एवं निर्देशन को बढावा देने के लिए एवं तदनुसार लेखापरीक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए नियोजित मुख्य यंत्रों में से एक है। बोर्ड के सदस्य अवैतनिक रूप से कार्य करते हैं। बोर्ड में विविध क्षेत्रों के प्रभावशाली व्यक्ति, विभाग से उप नियंत्रक - महालेखापरीक्षक और अपर उप नियंत्रक - महालेखापरीक्षक सम्मिलित हैं। पहला लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड 1999 में गठित किया गया था। उसके पश्चात बोर्ड पॉच बार पुनर्गठित किया गया था (2001, 2003, 2006, 2009, 2011)। छठे बोर्ड की अवधि जून 2013 तक थी।

लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड ने वर्ष 2012-13 के दौरान दो बार बैठक की। पहली बैठक 9 नवम्बर 2012 तथा दूसरी 21 मार्च 2013 को आयोजित की गई। बोर्ड ने लेखापरीक्षा नीतिगत योजना 2012-17 से सम्बंधित मामलों, कुछ निष्पादन लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण निष्कर्षों, जयपुर के पर्यावरणीय तथा सतत विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली तथा नीतिगत योजना पर विचार-विमर्श किया।

II राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

इसी तरह, राज्यों में प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार की अध्यक्षता में लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। राज्यों में अन्य महालेखाकार बोर्ड के पदेन सदस्य है। बाहरी सदस्य उत्कृष्ट शिक्षाविदों के सदस्यों, व्यवसायिक तथा सेवानिवृत सिविल सेवकों में से नियुक्त किए जाते है। राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का उद्देश्य लेखापरीक्षा कार्यालयों के वरिष्ठ प्रबंधन और विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान योग्य तथा अनुभवी व्यवसायिकों के बीच व्यवसायिक चर्चा हेतु एक फोरम बनाकर लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता को बढ़ाना है।

सभी राज्यों में लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई है। राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक भी वर्ष में दो बार हुई। बोर्ड का पुनर्गठन द्विवार्षिक रूप से किया जाता है। वर्ष के दौरान लगभग सभी राज्यों में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई।

III लेखापरीक्षित इकाईयों के साथ संपर्क

हमारी लेखापरीक्षित इकाईयाँ लेखापरीक्षा प्रक्रिया में मुख्य पणधारकों में से एक हैं। उनके साथ हमारा संपर्क एक निरंतर आधार पर लेखापरीक्षा से पहले, लेखापरीक्षा के दौरान एवं लेखापरीक्षा के बाद में होता रहता है। हमारे लेखापरीक्षा कार्यक्रमों की सूचना काफी पहले ही लेखापरीक्षित इकाईयों को दे दी जाती है। सभी लेखापरीक्षा दल लेखापरीक्षा के आरंभ एवं समाप्ति पर एन्ट्री एवं एग्जिट कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेखापरीक्षा के प्रत्येक स्तर पर लेखापरीक्षित इकाइयों को लेखापरीक्षा शंकाओं एवं निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देने का अवसर दिया जाता है।

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर जारी लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विचार एवं कार्यवाही करने के लिए लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन किया जाता है। जब एक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा एक क्रमबद्ध प्रकृति की सतत् अनियमितताएं पायी जाती हैं, तो लेखापरीक्षित इकाई को लेखापरीक्षा की चिंताओं की सूचना देने के लिए प्रबन्धन पत्रों का प्रयोग किया जाता है।

लेखापरीक्षित इकाईयों के अधिकारियों को विभाग में आयोजित संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता है।

IV लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति के साथ संपर्क

लोक लेखा समिति (पीएसी) एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) संघ एवं राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में हमारे प्रमुख भागीदार हैं। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जो संसद/विधान सभा के पटल पर रखे जाते हैं, पीएसी/कोपू को विचारार्थ भेजे जाते हैं। सीएजी प्रतिवेदन चर्चा के लिए मुख्य बिन्दुओं का ज्ञापन तैयार करके समितियों के कामकाज में सहायता करता है। सीएजी एवं उसके प्रतिनिधि बैठक के दौरान साक्ष्यों की जांच में पीएसी/कोपू की सहायता करते हैं। पीएसी/कोपू अपनी जॉच पर आधारित सिफारिशों वाला प्रतिवेदन प्रकाशित करती हैं। समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही पर कार्यकारिणी से सूचना अपेक्षित होती है। तब समिति एक कार्यवाही रिपोर्ट प्रकाशित करती है। बैठकों में चर्चा न की गई लेखापरीक्षा आपत्तियों के मामले में, कार्यकारिणी से लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत जॉच की गई कार्यवाही टिप्पणियां प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2012-13 में केन्द्रीय पीएसी/कोपू ने 79 बैठकें आयोजित की तथा 46 पैरा/निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षा पर चर्चा की जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

विंग का नाम	वर्ष 2011-12 के दौरान पीएसी/कोपू की आयोजित बैठकों की संख्या	वर्ष 2011-12 के दौरान चर्चा किये गए पैराओं/निष्पादन लेखापरीक्षा की संख्या
वाणिज्यिक	26	10
रक्षा एवं संचार	7	4
रेलवे	6	12

रिपोर्ट केन्द्रीय	19	10
आरए-आईएनडीटी (सीमा शुल्क)	3	3
सीआरए(सीईएसटी)	9	3
सीआरए(डीटी)	9	4
कुल	**79**	**46**

वर्ष के दौरान राज्य पीएसीज/कोपू की 821 बार बैठकें हुई एवं 1435 पैराओं/निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षाओं पर चर्चा हुई।

विंग का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	चर्चा किये गए पैराओं/निष्पादन लेखापरीक्षा की संख्या
केन्द्रीय क्षेत्र	206	188
पूर्वी क्षेत्र	166	442
उत्तरी क्षेत्र	133	197
पूर्वोत्तर क्षेत्र	56	172
पश्चिमी क्षेत्र	260	436
कुल	**821**	**1435**

V शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं के साथ संपर्क

हम अनेक शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थानों के साथ संपर्क करते हैं। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को केन्द्रीय संस्थान परिषदों जैसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) एवं भारतीय लागत एवं कार्य लेखाकार संस्थान (आईसीडब्ल्यूएआई) के लिए नामित किया जाता है। आईसीएआई की परिषद का सदस्य होने के नाते, अधिकारियों को विभिन्न संस्थानों की समितियों/बोर्डों जैसे लेखाकरण मानक बोर्ड, लेखापरीक्षण एवं आश्वासन मानक बोर्ड, आंतरिक लेखापरीक्षा मानक बोर्ड, व्यावसायिक विकास

समिति, ऐथिकल स्टेण्डर्ड बोर्ड, सूचना प्रौद्योगिकी समिति, पीयर रिव्यू बोर्ड इत्यादि में भी नामित किया जाता है ताकि इन व्यवसायिक निकायों के साथ लगातार संपर्क सुनिश्चित हो सके। हमारे स्टाफ एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण में संकाय सहायता के लिए विभाग के प्रशिक्षण संस्थान विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के साथ संपर्क करते हैं।

V। मीडिया के साथ संपर्क

बाहरी पणधारियों के लिए हमारी संचार नीति के अनुसार, सीएजी संचार नीति से संबंधित मामलों में निर्णय एवं मीडिया के साथ संपर्क करने के लिए सर्वोच्च प्राधिकारी है। उनकी अनुपस्थिति में, डीएआई एवं संचार नीति का प्रभारी अधिकारी मीडिया से संपर्क करेगा। ऐसा संपर्क विभाग, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकरण यदि कोई है, जारी करने के विषय में सूचना के प्रसार के उद्देश्य से होता है जो पणधारियों की मूलभूत सूचना की आवश्यकताओं को पूरा करने अथवा मीडिया सहित किसी बाहरी संस्था द्वारा तथ्यों के गलत प्रस्तुतीकरण अथवा मिथ्यावर्णन को दूर करने के लिए आवश्यक है।

मुख्यालय कार्यालय में मीडिया सलाहकार की अध्यक्षता वाला संचार नीति सैल प्रिंट/इलैक्ट्रोनिक मीडिया तथा जनता के साथ प्रभावशाली संचार व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। मीडिया सलाहकार मुख्यालय में प्रवक्ता है। राज्यों/यूटीज में, प्रधान महालेखाकार अथवा महालेखाकार स्तर का सबसे वरिष्ठ अधिकारी, जहाँ राज्य में कोई प्रधान महालेखाकार नहीं है, मीडिया के साथ प्रभावशाली संचार व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है।

हम संसद एवं विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद अपने ग्राहकों को लेखापरीक्षा संदेश पहुँचाने के लिए कई तरह के कार्य करते हैं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति के उपरान्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा के लिए एक मीडिया सम्मेलन आयोजित किया जाता है। प्रस्तुतीकरण के बाद लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की विषय-वस्तु को दर्शाते प्रैस सार भी जारी किये हैं। प्रतिवेदन हमारी वेबसाईट पर भी उपलब्ध कराये जाते है। हमने महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्र की निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा संदेश देने के लिए छोटी पुस्तिकाओं की भी शुरूआत की है।

अध्याय 9

हमारी अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी और योगदान

साई इंडिया अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में लेखापरीक्षण मानकों और पद्धतियों के विकास का मुख्य भागीदार और प्रमुख सहयोगी है। मुख्यालय में अन्तर्राष्ट्रीय संबंध विभाग अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के संपर्क के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की लेखापरीक्षा हेतु उत्तरदायी है जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

क. इंटोसाई
ख. एसोसाई
ग. वैश्विक कार्यकारी समूह
घ. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की लेखापरीक्षा
ङ. अन्य साई के साथ द्विपक्षीय संबंध

क. इंटोसाई

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (इंटोसाई) बाहरी सरकारी लेखापरीक्षा समुदाय के लिए एक छत्र संगठन के रूप में प्रचालित है। इंटोसाई एक स्वायत्त, स्वतंत्र और गैर-राजनीतिक संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) के साथ विशेष परामर्शी स्थिति वाला एक गैर-सरकारी संगठन है।

इंटोसाई में इनके सदस्यों के रूप में 191 साई है। इसके अलावा, इसके 5 सहायक सदस्य अर्थात् एसोसिएशन देश इंस्टीटयूशन सुपीरियर्स दे कंट्रोलअयान्त एन कम्मुयनलसेज दू फ्रेसंसिएज (एआईएससीसीयूएफ), पुर्तगाली बोलने वाले देशों का संगठन (सीपीएलपी), आन्तरिक लेखापरीक्षक संस्था (आईआईए), पश्चिम अफ्रीकी आर्थिक और मौद्रिक संघ (यूईएमओए) तथा विश्व बैंक हैं;

इंटोसाई की चार प्रमुख समितियां है जो चार नीतिगत लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम है। ये समितियां है;

1. व्यवसायिक मानक समिति (पीएससी)
2. क्षमता निर्माण समिति (सीबीसी)

3. ज्ञान शेयरिंग तथा ज्ञान सेवा समिति (केएससी)

4. वित्त तथा प्रशासन समिति (एफएसी)

इंटोसाई के साथ हमारी भागीदारी

इंटोसाई के साथ हमारी भागीदारी निम्न स्तर पर है:

- इंटोसाई कांग्रेस (आईएनसीओएसएआई)
- इंटोसाई शासकीय बोर्ड बैठक
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक इंटोसाई के नॉलेज शेयरिंग तथा नॉलेज सेवा (लक्ष्य 3) पर इंटोसाई समिति के अध्यक्ष है। समिति में इसके छत्र के अन्तर्गत नौ कार्यकारी ग्रुप तथा एक टास्क फोर्स है जिसमें से प्रत्येक विशेष क्षेत्रों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन तथा सर्वोत्तम पद्धतियां देने के लिए समर्पित है। हमने नॉलेज शेयरिंग समिति की वेबसाइट भी बनाई है।
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक आईटी लेखापरीक्षा पर इंटोसाई कार्यकारी ग्रुप (डब्ल्यूजीआईटीए) के भी अध्यक्ष है
- विभिन्न इंटोसाई स्थायी समितियों तथा कार्यकारी ग्रुपों की सदस्यता
- हमने इंटोसाई सहयोग उपकरण(आईसीटी) नामक एक विद्युतीय उपकरण का भी विकास तथा अनुरक्षण किया जो इंटोसाई का कार्य बेंच है तथा उनके अपने स्थानों पर सामान्य परियोजनाओं के कार्य हेतु एक समूह द्वारा उपयोग किया जा सकता है।

इंटोसाई नॉलेज शेयरिंग समिति

साई-इंडिया नॉलेज शेयरिंग समिति (केएससी) के अध्यक्ष है जिसमें लक्ष्य 3 के अन्तर्गत कार्यकारी ग्रुप तथा टास्क फोर्स के सदस्य सम्मिलित है। इसमें एक संचालन समिति है जिसमें कार्यकारी ग्रुप तथा टास्क फोर्स के अध्यक्ष, सरकारी लेखापरीक्षा के अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल के संपादक तथा छः पर्यवेक्षक सम्मिलित है। केएससी मुख्य समिति में 104 सदस्य तथा तीन पर्यवेक्षक है। संचालन समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष होती है जबकि इंटोसाई कांग्रेस के साथ संयोजन रूप में मुख्य समिति की बैठक त्रैवार्षिक होती है।

इंटोसाई नॉलेज शेयरिंग समिति की चौथी संचालन समिति की बैठक, 25-26 सितम्बर 2012, लक्समबर्ग

इंटोसाई की संचालन समिति की नॉलेज शेयरिंग समिति (केएससी) की 4वी बैठक यूरोपिय कोर्ट द्वारा 25 से 26 सितम्बर, 2012 को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्री विनोद राय, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा केएससी के अध्यक्ष द्वारा की गई।

बैठक का उद्घाटन श्री वीटर कलडेरा, अध्यक्ष यूरोपिय कोर्ट लेखापरीक्षक ने किया तथा साई के 11 सदस्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सामूहिक रूप से सदस्यों ने अधतित इंटोसाई नीतिगत योजना 2011-2013 के साथ क्रमबद्धता में उनके द्वारा किए गए कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के सम्बन्ध में कार्यकारी समूहों और टास्क फोर्स द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की। बैठक का उद्देश्य नीतिगत परिसम्पत्तियों के रूप में विविध लेखापरीक्षा पद्धतियों के प्रबंधन तथा साई के बीच उनकी शेयरिंग को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित था।

जयपुर, भारत में 2 से 6 अक्तूबर 2012 से पर्यावरणीय लेखापरीक्षण पर इंटोसाई कार्यकारी ग्रुप की संचालन समिति और ग्लोबल प्रशिक्षण की सुविधा की उप-समिति की 12वीं बैठक

साई इंडिया ने पर्यावरणीय लेखापरीक्षण पर इंटोसाई कार्यकारी ग्रुप (डब्ल्यूजीईए) की संचालन समिति और ग्लोबल प्रशिक्षण सुविधा (जीटीएफ) की उप-समिति की 12वीं बैठक की जयपुर, भारत में 2 से 6 अक्तूबर 2012 की मेजबानी की।

साई एस्टोनिया, फिनलैंड, भारत और नॉर्वे के प्रतिनिधियों ने आगामी ग्लोबल प्रशिक्षण सुविधा (जीटीएफ) पर विचार-विमर्श करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत् विकास केन्द्र (आईसीईडी) जयपुर में 2 अक्तूबर 2012 को बैठक की।

श्री विनोद राय, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने 4 अक्तूबर 2012 को पर्यावरणीय लेखापरीक्षण पर इंटोसाई कार्यकारी ग्रुप (डब्ल्यूजीईए) की संचालन समिति की 12वीं बैठक का उद्घाटन किया और जयपुर, भारत में सभी भाग लेने वालों का स्वागत किया। बैठक 4 से 6 अक्तूबर 2012 को आयोजित की गई जिसमें 13 सदस्य साई देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

संचालन समिति ने निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की:

- रियों+20 परियोजना तथा यूएनईपी विश्व कांग्रेस के विषय में सूचना
- डब्ल्यूजीईए मार्गदर्शन विषयी एवं शोध पत्र के विकास की प्रक्रिया
- पानी संबंधी मामलों का लेखापरीक्षण
- धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार
- पर्यावरण एवं स्थिरता रिपोर्टिंग
- भूमि उपयोग तथा प्रबंधन पद्धतियां
- वन्यजीव संरक्षण एवं पर्यटन
- डब्ल्यूजीईए की कार्य योजना 2014-2016 आदि।

साई-इण्डिया ने संचालन समिति में भाग लेने वालो के लिए 3 अक्तूबर 2012 को ऐतिहासिक आमेर किले तथा आईसीईडी के लिए एक पर्यावरणीय भ्रमण का आयोजन किया। संचालन समिति के सदस्यों को आईसीईडी की मुख्य विशेषताओं के विषय में बताया गया।

इंटोसाई शासकीय बोर्ड की बैठक

इंटोसाई शासकीय बोर्ड की पिछली बैठक 20 से 21 नवम्बर 2012 को चेंगदू, चीन में आयोजित की गई। आगामी शासकीय बोर्ड की बैठक 22 अक्तूबर 2013 को बीजिंग, चीन में अर्थात् XXI इंकोसाई के साथ संयोजन में आयोजित की जाएगी।

ख. एसोसाई

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं का एशियन संगठन (एसोसाई) इंटोसाई के सात क्षेत्रीय कार्यकारी ग्रुप में से एक है। इसकी स्थापना 1978 में हुई तथा 1979 में नई दिल्ली में अपनी प्रथम सभा में कार्यात्मक हुआ। इसकी वर्तमान सदस्यता 45 है। भारत एसोसाई का एक चार्टर सदस्य है।

एसोसाई की पिछली सभा (XII) फरवरी – मार्च 2012 में जयपुर, भारत में आयोजित की गई। 1979 तथा 2012 की सभाओं के अतिरिक्त, भारत ने 1994 में भी नई दिल्ली में छठी सभा की मेजबानी की।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक जयपुर में 2012 में आयोजित पिछली सभा के मेजबान होने के नाते एसोसाई के अध्यक्ष है। हम 2018 तक एसोसाई के शासकीय बोर्ड में रहेंगें (2012 से 2015 तक एसोसाई के अध्यक्ष के रूप में तथा 2015 से 2018 तक निर्गामी अध्यक्ष के रूप में)।

सरकारी लेखापरीक्षा के एसोसाई पत्रिका के संपादक के रूप में हम वर्ष में दो बार एसोसाई पत्रिका प्रकाशित करते है।

ग. ग्लोबल कार्यकारी ग्रुप

18 साई का एक ग्लोबल कार्यकारी ग्रुप (जीडब्ल्यूजी) पारस्परिक संबधी मामलों पर चर्चा करने और सूचना और सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने के लिए साई सदस्यों के अध्यक्ष के अनौपचारिक फोरम के रूप मे 2000 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में, इसमें 19 सदस्य है। 13$^{वी}$ ग्लोबल कार्यकारी ग्रुप की बैठक 8-10 मई 2012 को स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित की गई थी। हम जीडब्ल्यूजी वेबसाइट का भी रख-रखाव करते है।

घ. अन्तराष्ट्रीय संगठनों की लेखापरीक्षा

आज की तारीख में साई-इंडिया निम्नलिखित संगठनों का बाहरी लेखापरीक्षक है:

1. विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) *[जुलाई 2010 से जून 2016]*
2. प्रवासन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (आईओएम) *[जुलाई 2010 से जून 2016]*
3. विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) *[जुलाई 2012 से जून 2018]*
4. अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) *[जुलाई 2012 से जून 2014]*
5. संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) *[2000 के बाद]*

उपरोक्त संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं/अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों (यूएनडब्ल्यूटीओ को छोड़कर) की वित्तीय/प्रमाणन, निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रति वर्ष की जाती है। यूएनडब्ल्यूटीओ के संबंध में केवल वित्तीय लेखापरीक्षा की जाती है। दिसम्बर 2012 को समाप्त वर्ष के लिए सभी लेखापरीक्षा की गई है और लेखापरीक्षा रिपोर्टें सीएजी द्वारा अनुमोदित की गई है।

संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखापरीक्षकों का पैनल तथा उसका तकनीकी ग्रुप

संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखापरीक्षकों (लेखापरीक्षक बोर्ड के सदस्य) तथा इसके विशिष्ट एजेन्सियों ने "संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखापरीक्षकों के पैनल" का गठन किया। विश्व भर में लेखाकरण/लेखापरीक्षण पद्धतियों में विकास के मामलों को संबोधित करने के लिए पैनल की बैठक वर्ष में एक बार होती है। संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखापरीक्षक अथवा इसके विशिष्ट एजेन्सियों के नाते हम 1993 से पैनल के सदस्य है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक दिसम्बर 2011 से दिसम्बर 2013 तक पैनल के अध्यक्ष थे तथा उसी समयावधि के दौरान महानिदेशक (आईआर) तकनीकी ग्रुप के संयोजक के पद पर रहे।

ड़ अन्य साई के साथ द्विपक्षीय संबंध

हमने 15 देशों अर्थात् भूटान, ब्राजील, चीन, कुवैत, मालदीव, मंगोलिया, पोलैंड, रूस, वेनेजुएला, ओमान, अफगानिस्तान, वियतनाम, कंबोडिया, दक्षिण अफ्रीका और ईरान के साथ समझौता ज्ञापन किया है। इन देशों के साथ नियमित द्विपक्षीय आदान-प्रदान जैसा प्रशिक्षण कार्यक्रम, सैकेंडमैण्ट्स, कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया गया है।

अनुबंध I

संगठनात्मक चार्ट 31 मार्च 2013: भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक

सीएजी के सचिव

1.	उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (प्रशासन एवं स्टाफ)	महानिदेशक (निरीक्षण) महानिदेशक (एसएमयू) महानिदेशक (प्रशिक्षण) महानिदेशक (आईआर) महानिदेशक (स्टाफ) महानिदेशक (पीपीजी) महानिदेशक (मुख्यालय)	प्रधान निदेशक (आईएस एण्ड आईटी) प्रधान निदेशक (परीक्षा) प्रधान निदेशक (राजभाषा)	एसी प्रधान विधिक सलाहकार
2.	उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (रक्षा रेलवे एवं डाक एवं दूरसंचार लेखापरीक्षा)	महानिदेशक (रेलवे) महानिदेशक (रक्षा एवं दूरसंचार)	महानिदेशक (रेलवे बोर्ड लेखापरीक्षा)	
3.	उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक एवं अध्यक्ष लेखापरीक्षा बोर्ड)	महानिदेशक (वाणिज्यिक-I) प्रधान निदेशक (वाणिज्यिक)	महानिदेशक (वाणिज्यिक-II)	
4.	उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (रिपोर्ट केन्द्रीय और स्थानीय निकाय)	महानिदेशक (आरसी) सांख्यिकी सलाहकार	प्रधान निदेशक (आरसी)	
5.	उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सरकारी लेखें, केन्द्रीय राजस्व लेखापरीक्षा)	महानिदेशक (जीए) प्रधान निदेशक (जीए) प्रधान निदेशक (जीए) प्रधान निदेशक (गसब-I) प्रधान निदेशक (गसब-II)	महानिदेशक (सीआरए) प्रधान निदेशक (सीआरए) प्रधान निदेशक (सीमा शुल्क) प्रधान निदेशक (एसटी)	
6.	अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (पूर्वी क्षेत्र)	महानिदेशक (पूर्वी क्षेत्र) 4 राज्य: तमिलनाडु एवं पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल)	प्रधान निदेशक (पूर्वी क्षेत्र)	
7.	अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (केन्द्रीय क्षेत्र)	महानिदेशक (केन्द्रीय क्षेत्र) 5 राज्य: उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	प्रधान निदेशक (केन्द्रीय क्षेत्र)	
8.	अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (पश्चिम क्षेत्र)	महानिदेशक (पश्चिम क्षेत्र) 6 राज्य: राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरल	प्रधान निदेशक (पश्चिम क्षेत्र)	
9.	अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	महानिदेशक (पूर्वोत्तर क्षेत्र) 8 राज्य: मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरूणाचंल प्रदेश, असम और सिक्किम	प्रधान निदेशक (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	
10.	अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (उत्तर क्षेत्र)	महानिदेशक (उत्तर क्षेत्र) 6 राज्य: दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा	प्रधान निदेशक (उत्तर क्षेत्र)	

टिप्पणी: क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख म.नि./प्र.म.ले./प्र.नि./म.ले. होते हैं जो संबंधित डीएआई/एडीएआई को रिपोर्ट करते हैं।

अनुबंध ।।

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के कार्यालय

I लेखापरीक्षा कार्यालय-संघ और संघ राज्य क्षेत्र

क सिविल

1. महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय व्यय, नई दिल्ली
2. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, नई दिल्ली
3. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली
4. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, अहमदाबाद
5. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, बैंगलोर
6. महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, चंडीगढ
7. महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, चेन्नई
8. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, हैदराबाद
9. महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, कोलकाता
10. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, लखनऊ
11. महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, मुम्बई
12. महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय प्राप्ति, नई दिल्ली

टिप्पणी: संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़, की लेखापरीक्षा, महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय, चडीगढ के कार्यक्षेत्र में आती है। संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप की लेखापरीक्षा महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, चेन्नई के कार्यक्षेत्र में आती है। दमन एवं दीव तथा दादरा और नगर हवेली से संबंधित लेखापरीक्षा प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, अहमदाबाद के कार्यक्षेत्र में आती है।

ख रक्षा

1. महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली
2. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, चंडीगढ़
3. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, पुणे
4. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वायु सेना, नई दिल्ली
5. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, नेवी, मुम्बई
6. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, आयुध फैक्ट्रियाँ, कोलकाता

ग डाक एवं दूरसंचार

1. महानिदेशक लेखापरीक्षा, डाक एवं दूरसंचार, दिल्ली

घ रेलवे

1. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
2. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर
3. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर
4. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण रेलवे, चेन्नई
5. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
6. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, गुवाहाटी
7. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर (बिहार)
8. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली, बैंगलोर
9. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर
10. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर
11. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्वी रेलवे, कोलकाता
12. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण पूर्वी रेलवे, कोलकाता
13. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रेलवे उत्पादन यूनिट एवं मैट्रो रेलवे, कोलकाता
14. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, मध्य रेलवे, मुम्बई
15. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पश्चिमी रेलवे, मुम्बई
16. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उत्तरी रेलवे, नई दिल्ली
17. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा-रेलवे वाणिज्यिक, नई दिल्ली
18. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद

ड. वाणिज्यिक

1. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड, बैंगलोर
2. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड, चेन्नई
3. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड, हैदराबाद
4. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-I, कोलकाता
5. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-II कोलकाता
6. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-I, मुम्बई
7. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-II, मुम्बई
8. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-I, नई दिल्ली
9. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-II, नई दिल्ली
10. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-III, नई दिल्ली
11. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-IV, नई दिल्ली
12. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड, रांची

च विदेश स्थित

1. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, लंदन
2. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वाशिंगटन डीसी
3. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, क्वालालम्पुर, मलेशिया
4. निदेशक बाह्य लेखापरीक्षा रोम, इटली
5. निदेशक बाह्य लेखापरीक्षा, जेनेवा (जुलाई 2012 से बंद)

II लेखापरीक्षा कार्यालय-राज्य

1. प्रधान महालेखाकार (सा.व सा. क्षे.ले.प.) आंध्र प्रदेश, हैदराबाद
2. महालेखाकार (आ. एवं रा.क्षे.ले.प.), आंघ्र प्रदेश, हैदराबाद
3. महालेखाकार, अरूणाचल प्रदेश, ईटानगर
4. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), असम, गुवाहाटी
5. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना
6. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, गोवा, गोवा
8. महालेखाकार (आ. एवं रा.क्षे.ले.प.), गुजरात, अहमदाबाद
9. महालेखाकार (सा.व सा. क्षे.ले.प.) गुजरात, राजकोट
10. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा, चंडीगढ
11. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश, शिमला
12. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू व कश्मीर, श्रीनगर
13. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखंड, रांची
14. प्रधान महालेखाकार (सा.व सा. क्षे.ले.प.), कर्नाटक, बैंगलोर
15. प्रधान महालेखाकार (आ. एवं रा.क्षे.ले.प.), कर्नाटक, बैंगलोर
16. प्रधान महालेखाकार (सा.व सा. क्षे.ले.प.), केरल, तिरूवनंतपुरम
17. महालेखाकार (आ. एवं रा.क्षे.ले.प.), केरल, तिरूवनंतपुरम
18. प्रधान महालेखाकार (सा.व सा. क्षे.ले.प.), मध्य प्रदेश, ग्वालियर
19. महालेखाकार (आ. एवं रा.क्षे.ले.प.), मध्य प्रदेश, भोपाल,
20. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)- I , महाराष्ट्र, मुम्बई
21. महालेखाकार, (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपुर
22. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) III, महाराष्ट्र, मुम्बई
23. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), मणिपुर, इम्फाल
24. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), मेघालय, शिलांग
25. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), मिजोरम, आईजोल

26. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), नागालैंड,कोहिमा
27. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली, नई दिल्ली
28. महालेखाकार (सा.व सा. क्षे.ले.प.), ओडिशा, भुवनेश्वर
29. प्रधान महालेखाकार (आ. एवं रा.क्षे.ले.प.), ओडिशा, भुवनेश्वर
30. महालेखाकार, (लेखापरीक्षा), पंजाब, चण्डीगढ
31. प्रधान महालेखाकार (सा.व सा. क्षे.ले.प.), राजस्थान, जयपुर
32. महालेखाकार (आ. एवं रा.क्षे.ले.प.), राजस्थान, जयपुर
33. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), सिक्किम, गंगटोक
34. प्रधान महालेखाकार (सा. एवं सा.क्षे.ले.प.), तमिलनाडू और पुदुच्चेरी, चेन्नै
35. प्रधान महालेखाकार (आ. और रा.क्षे.ले.प.), तमिलनाडू, चेन्नै
36. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), त्रिपुरा, अगरतला
37. प्रधान महालेखाकार (सा. एवं सा.क्षे.ले.प.), उत्तर प्रेदश, इलाहाबाद
38. महालेखाकार (सा. एवं सा.क्षे.ले.प.), उत्तर प्रेदश, लखनऊ
39. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तर प्रेदश, देहरादून
40. प्रधान महालेखाकार (सा. एवं सा.क्षे.ले.प.), पश्चिम बंगाल, कोलकाता
41. महालेखाकार (आ. और रा.क्षे.ले.प.), पश्चिम बंगाल, कोलकाता

III. लेखा और हकदारी कार्यालय – राज्य

1. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), आंध्र प्रदेश, हैदराबाद
2. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), असम, गुवाहटी
3. महालेखाकार (ले. व ह.), बिहार, पटना
4. महालेखाकार (ले. व ह.), छत्तीसगढ़, रायपुर
5. महालेखाकार (ले. व ह.), गुजरात, राजकोट
6. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), हरियाणा, चंडीगढ़
7. महालेखाकार (ले. व ह.), हिमाचल प्रदेश, शिमला
8. महालेखाकार (ले. व ह.), जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर
9. महालेखाकार (ले. व ह.), झारखंड, रांची
10. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), कर्नाटक, बैंगलुरू
11. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), केरल, तिरूवन्नतपुरम
12. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.)-I, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
13. महालेखाकार (ले. व ह.)-II, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
14. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.)-I, महाराष्ट्र, मुंबई
15. महालेखाकार (ले. व ह.)-II, महाराष्ट्र, नागपुर

16. महालेखाकार (ले. व ह.), मणिपुर, इंफाल
17. महालेखाकार (ले. व ह.), मेघालय, शिलांग
18. महालेखाकार (ले. व ह.), नागालैंड, कोहिमा
19. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), ओडिसा, भुवनेश्वर
20. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), पंजाब, चंडीगढ़
21. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), राजस्थान, जयपुर
22. व. उप महालेखाकार (ले. व ह.), सिक्किम गंगटोंक
23. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), तमिलनाडु, चेन्नै
24. महालेखाकार (ले. व ह.), त्रिपुरा, अगरतला
25. महालेखाकार (ले. व ह.)-I, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
26. महालेखाकार (ले. व ह.)-II, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
27. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), उत्तराखंड, देहरादून
28. महालेखाकार (ले. व ह.), पश्चिम बंगाल, कोलकाता

IV प्रशिक्षण संस्थान

1. महानिदेशक, लेखापरीक्षा और लेखा राष्ट्रीय अकादमी, शिमला
2. महानिदेशक, सूचना प्रणाली और लेखापरीक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नोयडा (यू.पी.)
3. पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत् विकास के लिए आंतरिक केंद्र, जयपुर
4. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, इलाहाबाद
5. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नै
6. विशेष कार्य अधिकारी, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, हैदराबाद
7. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर
8. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जम्मू
9. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता
10. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मुंबई
11. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, नागपुर
12. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, राँची
13. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, शिलांग
14. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, बैंगलुरू*
15. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली**

** प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली, बैंगलुरू के प्रभार के अंतर्गत*

*** महा निदेशक, लेखापरीक्षा, केंद्रीय व्यय, नई दिल्ली के प्रभार के अंतर्गत*

अनुबंध III

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक						
	शीर्ष प्रबंधन	वरिष्ठ प्रबंधन	मध्य प्रबंधन	परिचालन प्रबंधन	लेखा एवं लेखापरीक्षा कर्मचारी	मल्टी - टास्किंग स्टॉफ
नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक का कार्यालय	उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अपर उपनियंत्रक-महालेखापरीक्षक	महानिदेशक/प्रधान निदेशक	निदेशक, उप निदेशक	वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, (व.प्र.अ.)/ प्रशासन अधिकारी (ए.ओ.), सहायक प्रशासन अधिकारी (ए.ए.ओ.), पर्यवेक्षक	वरिष्ठ लेखापरीक्षक, लेखापरीक्षक, लिपिक, हिंदी अनुवादक, आईटी कर्मचारी, सचिवालय कर्मचारी आदि।	रिकार्ड कीपर, चपरासी, ड्राइवर आदि।
लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालय		प्रधान महालेखाकार/ महालेखाकार (लेखापरीक्षा/ले.व हक.), महानिदेशक/ प्रधान निदेशक	वरिष्ठ उप महालेखाकार, उप महालेखाकार	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, व. लेखा अधिकारी, लेखापरीक्षा अधिकारी, लेखा अधिकारी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, सहायक महा लेखाकार, सहायक निदेशक	वरिष्ठ लेखापरीक्षक/ वरिष्ठ लेखाकार, लेखापरीक्षक/ लेखाकार, लिपिक, हिंदी अनुवादक, आईटी कर्मचारी, सचिवालय कर्मचारी आदि।	रिकार्ड कीपर, चपरासी, ड्राइवर आदि।
प्रशिक्षण अकादमी एवं संस्थान		महानिदेशक/ प्रधान निदेशक	निदेशक, उप निदेशक	वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, प्रशासन अधिकारी, सहायक प्रशासन अधिकारी, पर्यवेक्षक	वरिष्ठ लेखापरीक्षक/ वरिष्ठ लेखाकार, लेखापरीक्षक/ लेखाकार, लिपिक, हिंदी अनुवादक, आईटी कर्मचारी, सचिवालय कर्मचारी आदि।	रिकार्ड कीपर, चपरासी, ड्राइवर आदि।

संकेताक्षर

एएंडई	लेखा और हकदारी
एसी	संक्षिप्त आकस्मिक व्यय
एडीएआई	अपर उप नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
एफ्रोसाई	सर्वोच्च संस्था के अफ्रीकी संगठन
एजी	महालेखाकार
एओपीएस	व्यक्तियों का संघ
अरबोसाई	सर्वोच्च संस्था अरब संगठन
एसोचैम	भारत के वाणिज्य व्यापार एवं उद्योग मंडल
एसोसाई	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था एशियाई संगठन
एएसटी	अब्सट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री
एटीएनज़	की गई कार्रवाई टिप्पणियां
बीएचईल	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
सीए	सनदी लेखाकार
सीएजी	भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
कैरोसाई	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था कैरेबियन संगठन
सीबीसी	क्षमता संवर्धन समिति
सीबीडीटी	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीबीईसी	उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क केंद्रीय बोर्ड
सीसीएस	केन्द्रीय सिविल सेवा
सेनवैट	केंद्रीय मूल्य वर्धित कर
सीएफई	प्रमाणित धोखाधड़ी परीक्षक
सीआईए	प्रमाणित आंतरिक लेखापरीक्षक
सीआईआई	भारतीय उद्योग परिसंघ
सीआईएसए	प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखापरीक्षक
सीसीआई	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
कोपू	लोक उपक्रम समिति
डीएआई	भारत के उप नियंत्रक – महालेखापरीक्षक
डीडीओ	आहरण एवं वितरण अधिकारी
डीईओज़	डाटा एंट्री ऑपरेटर्स

डीजी	महानिदेशक
डीपीसी	कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें
डीआरएएओ	सीधे भर्ती सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
डीटीसी	प्रत्यक्ष कर संहिता
ईसीओएसओसी	आर्थिक एवं सामाजिक परिषद
यूरोसाई	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था यूरोपीय संगठन
एफएसी	वित्त एवं प्रशासन समिति
फिक्की	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ
जीए एंड सीआरए	सरकारी लेखा एवं राजस्व लेखापरीक्षा
गसब	सरकार लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड
जीओआई	भारत सरकार
जीपीएफ	सामान्य भविष्य निधि
जीटीएफ	वैश्विक प्रशिक्षण सुविधा
जीडब्ल्यूजी	ग्लोबल वर्किंग ग्रुप
आईएएडी	भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग
आईएएंडएएस	भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा सेवा
आईएईए	अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी
आईसीएआई	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
आईसीएसआई	भारतीय कम्पनी सेक्रेटरी संस्थान
आईसीटी	इन्टोसाई सहयोग उपकरण
आईसीईडी	अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा एवं सतत विकास केन्द्र
आईसीआईएसए	अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली और लेखापरीक्षा केन्द्र
आईसीडब्ल्यूए	इंस्टिटयूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेटस
आईआईए	आंतरिक लेखापरीक्षा संस्थान
आईआईएफसीएल	इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड
आईजीएएसएस	भारत सरकार के लेखाकरण मानक
आईजीएफआरएस	भारत सरकार वित्तीय रिपोर्टिंग मानक
आईएमएलआई	अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री कानून संस्थान
आईएमओ	अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन
इंकोसाई	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं की अन्तराष्ट्रीय कांग्रेस
इंटोसाई	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीय संगठन

आईओएम	अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन
आईओसी	इंडियन आयल कारपोरेशन
आईआर	भारतीय रेल
आईआरज़	निरीक्षण रिपोर्ट
आईआरडिवीजन	अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध डिवीजन
आईआरसीटीसी	भारतीय रेल भोजन प्रबंध और पर्यटन निगम लिमिटेड
इरला	व्यक्तिगत चालू बही खाता
आईएस	सूचना प्रणाली
आईएसएसएआई	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अन्तर्राष्ट्रीय मानक
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईटीडी एप्लीकेशनस	आयकर विभाग एप्लीकेशन्स
आईवीआरएस	इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉंस सिस्टम
केआरए	मुख्य परिणाम क्षेत्र
केएससी	नॉलेज शेयरिंग कमेटी
एलबी	स्थानीय निकाय
एमएबी	सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड
एमएटी	न्यूनतम वैकल्पिक कर
एमआईएस	सूचना प्रबंधन प्रणाली
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमआरपी	अधिकतम खुदरा मूल्य
एमएसओ	स्थाई आदेशों की नियम पुस्तिका
एमटीएस	बहु-कार्य स्टाफ
एनएएए	राष्ट्रीय लेखा तथा लेखापरीक्षा अकादमी
एनबीएफसी-आईएफसी	गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी-इफ्रास्ट्रक्चर वित्तीय कम्पनी
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना केन्द्र
एनटीपीसी	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग और विकास का संगठन
ओएफबी	आयुद्ध फैक्ट्री बोर्ड
ओएनजीसी	तेल और प्राकृतिक गैस निगम
ओएलएसीईएफएस	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों का लेटिन अमेरिकन और केरिबियाई संगठन

ओल्टास	आनलाइन कर लेखांकन प्रणाली
पीएज़जी	प्रधान महालेखाकार
पीएएसएआई	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं का पेसिफिक संघ
पीएण्डटी	डाक एवं दूरसंचार
पीएसी	लोक लेखा समिति
पीएओ	भुगतान एवं लेखा कार्यालय
पीपीजी	व्यावसायिक परिपाटी समूह
पीएससी	व्यवसायिक मानक समिति
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरटीसी	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र
आरटीआई	क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान
साई	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान
सेल	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया
एसएएस	सहायक लेखापरीक्षा/लेखा सेवा
एसएमएस	लघु संदेश सेवा
एसएमयू	नीतिगत प्रबंधन यूनिट
टीडीएस	स्रोत से कर कटौती
यूएन	संयुक्त राष्ट्र
यूएनबीओए	संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षक बोर्ड
यूएनईपी	संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
यूईएमओए	पश्चिम अफ्रीका आर्थिक तथा मौद्रिक संघ
यूएनडब्ल्यूटीओ	विश्व पर्यटन संगठन
यूएसए	संयुक्त राष्ट्र अमरिका
यूएसओ फंड	विश्वव्यापक सेवा दायित्व निधि
यूटीज़	संघ शासित प्रदेश
वैट	मूल्य संवर्धित कर
वीएलसी	वाउचर स्तर कंप्यूटरीकरण
वीओआईपी	वायॅस आवर इंटरनेट प्रोटोकॉल
वीपीएन	वरच्यूल प्राइवेट नेटवर्क
डब्ल्यूएफपी	विश्व खाद्य कार्यक्रम

डब्ल्यूजीईए	पर्यावरणीय लेखापरीक्षण कार्यकारी ग्रुप
डब्ल्यूजीआईटीए	सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा कार्यकारी ग्रुप
डब्ल्यूएचओ	विश्व स्वास्थ्य संगठन
डब्ल्यूआईपीओ	विश्व बौद्धिक संपदा संगठन
डब्ल्यूएमयू	वर्ल्ड मेरीटाइम यूनिवर्सिटी